


हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार  
63वीं बैठक का एजेण्डा



दिनांक: 27/07/2017

समय:- पूर्वान्ह 11:30 बजे

स्थान:- हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, सभागार

**हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार**  
**अनुक्रमणिका**

क्र० सं०	मद संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	63 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-01	प्राधिकरण की 60वीं बोर्ड बैठक दिनांक 01.09.2016 एवं 61वीं बोर्ड बैठक दिनांक 02.01.2017 तथा 62वीं बोर्ड बैठक दिनांक 02.01.2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि	01
2	63 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-(01)(अ)	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, की 60 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 01.09.2016 की अनुपालन आख्या	02 से 09 तक
3	63 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-(01)(ब)	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, की 61 वीं बोर्ड बैठक (परिचालन के माध्यम से) दिनांक 02.01.2017 की अनुपालन आख्या	10 से 11 तक
4	63 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-(01)(स)	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, की 62 वीं बोर्ड बैठक (परिचालन के माध्यम से) दिनांक 02.01.2017 की अनुपालन आख्या	12
5	63 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-02	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2016-17 का वास्तविक आय-व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्राधिकरण का निम्नलिखित प्रस्तावित आय-व्ययक प्राधिकरण की बोर्ड के सक्षम अनुमोदनार्थ प्रेषित	13 से 16 तक
6	63 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-03	Ease of doing Business के अन्तर्गत आनलाइन मानचित्र स्वीकृति हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 (संशोधन-2015) यथासंशोधित-2016 को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	17
7	63 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-04	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उपकर हेतु कुर्सी क्षेत्रफल की दरों का निर्धारण तथा उपकर की प्राप्तियों को उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निधि में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।	18
8	63 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-05	प्रधानमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत "Affordable Housing in partnership" में दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य के सम्बन्ध में।	19
9	63 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-06	हरिद्वार नगर में पार्किंग व्यवस्था के सम्बन्ध में।	20
10	63 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-07	इन्द्रलोक स्थित आवासीय योजना के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण स्टाफ आवास को नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	21
11	63 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-08	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में कई वर्षों से अनिस्तारित सम्पत्तियों का शासनादेश संख्या 4912/9-आ-1-99/32 हडको/97टी0सी0 दिनांक 04.01.1999 के अन्तर्गत अलोकप्रिय घोषित किये जाने तथा सम्पत्तियों का मूल्य वास्तविक बाजार मूल्य तक कम किये जाने विषयक।	22

12	63 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-09	श्री हरगोविन्द जुयाल सचिव, मार्डन स्कूल सोसायटी के नाम से संचालित जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 8 तक) के निर्मित भवन को शमन स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।	23
13	63 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-10	प्राधिकरण वाहन संख्या यू0के0-08-एम0-6363 एम्बेसडर कार को निष्प्रयोज्य घोषित करते हुए नीलाम किये जाने तथा उक्त के स्थान पर कार्यालय प्रयागार्थ 01 वाहन कय किये जाने के सम्बन्ध में।	24
14	63 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-11	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण में नेटवर्किंग तथा नियोजन के कार्यों हेतु आउट सोर्सिंग/संविदा के आधार पर तैनाती के सम्बन्ध में।	25
15	63 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-12	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण में विचारधीन अनाधिकृत निर्माण के वादों तथा अभिलेखागार/स्टोर एवं सूचना का अधिकार आदि को आन लाईन करने तथा कृत कार्यों के निष्पादन हेतु आउट सोर्सिंग/संविदा के आधार कम्प्यूटर प्रोग्रामर की तैनाती के सम्बन्ध में।	26
16	63 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-13	हरिद्वार जिले /प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित नजूल भूमि की उचित रखरखाव की व्यवस्था के दृष्टिगत प्राईवेट सर्वेयर से सर्वे कराये जाने के सम्बन्ध में।	27
17	63 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-14	हरिद्वार में स्थित हर की पैड़ी क्षेत्र का पारम्परिक स्वरूप बरककार रखते हुये उसके विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	28
18	63 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-15	हरिद्वार विकास क्षेत्र में प्राधिकरण की योजनाओं हेतु राज्य की लैण्ड पुलिंग व्यवस्था के अनुसार भूमि अधिग्रहण / कय किये जाने के सम्बन्ध में।	29
19	63 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-16	हरिद्वार विकास क्षेत्र के अम्यूजमेन्ट पार्क विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।	30
20	63 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-17	हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण के मायापुर, हरिद्वार स्थित कार्यालय को रोशनाबाद, हरिद्वार में हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।	31
21	63 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-18	हरिद्वार नगर निगम सीमान्तर्गत नगर निगम द्वारा लगायी गयी स्ट्रीट लाईटो का आटोमेशन किये जाने का कार्य तथा इसपर आने वाले लागत की प्रतिपूर्ति हेतु विजुअल मैसेजिंग साईनबोर्ड (VMS) के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।	32
22	63 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-19	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में।	33
23	63 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-20	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद।	34

मद संख्या 63--(01)

प्राधिकरण की 60वीं बोर्ड बैठक दिनांक 01.09.2016 एवं 61वीं बोर्ड बैठक दिनांक 02.01.2017 तथा 62वीं बोर्ड बैठक दिनांक 02.01.2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि:-

प्राधिकरण की 60 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 01.09.2016 को एवं 61वीं एवं 62वीं बोर्ड बैठक (परिचालन के माध्यम से) दिनांक 02.01.2017 को आयोजित की गयी थी। उक्त बैठकों के कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः निवेदन है कि 60 वीं एवं 61वीं तथा 62वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

**हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 63वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27-07-2017 का कार्यवृत्त।**

प्राधिकरण की 63वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27-07-2017 को मा0 अध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की अध्यक्षता में प्राधिकरण हरिद्वार के सभागार में आयोजित की गयी :-

बैठक की उपस्थिति :-

1. श्री विनोद शर्मा, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / अध्यक्ष, एच.आर.डी.ए.।
2. श्री दीपक रावत, उपाध्यक्ष, एच0आर0डी0ए0
3. श्री दीपक रावत, जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. श्रीमती गीता खुल्बे, वरिष्ठ नियोजक, (नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड)
5. श्री दीप शर्मा, अध्यक्ष, नगर पालिका ऋषिकेश।
6. डा0 तन्जीम अली, मुख्य वित्त अधिकारी (प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)
7. श्री सोमपाल, उप सचिव, (सचिव, आवास विभाग के प्रतिनिधि)
8. श्री अतुल कुमार सिंह, अनु सचिव, (सचिव, पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि)
9. मौ0 मीसम, अधिशासी अभियन्ता, (प्रमुख सचिव, पेयजल के प्रतिनिधि)
10. डा0 प्रवीण कुमार, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, (मुख्य नगर आयुक्त के प्रतिनिधि)
11. श्री अमित कुमार, लिपिक (अधिशासी अधिकारी, शिवालिक नगर के प्रतिनिधि)

अध्यक्ष  
उपाध्यक्ष  
पदेन सदस्य  
पदेन सदस्य  
पदेन सदस्य  
पदेन सदस्य  
पदेन सदस्य  
पदेन सदस्य  
पदेन सदस्य  
पदेन सदस्य

सर्वप्रथम हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा आयुक्त/ अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :-

**मद संख्या-63 (01)**

प्राधिकरण की 60वीं बोर्ड बैठक दिनांक 01-09-2016, 61वीं बोर्ड बैठक (परिचालन के माध्यम से) दिनांक 02-01-2017 एवं 62वीं बोर्ड बैठक (परिचालन के माध्यम से) दिनांक 02-01-2017 के कार्यवृत्त / अनुपालना की पुष्टि की गई।

Secretary

Vice Chairman

Commissioner / Chairman

**मद संख्या 63 (01)(अ)**  
**हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, की 60 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 01.09.2016**  
**की अनुपालन आख्या :-**

मद सं०	विषय	निर्णय	अनुपालन
<b>प्राधिकरण की 60वीं बोर्ड बैठक दिनांक 01.09.2016 की अनुपालन आख्या</b>			
60, मद संख्या-1	प्राधिकरण की 58 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15.07.2015 एवं 59वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.11.2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि-	प्राधिकरण की 58 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15.07.2015 एवं 59वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.11.2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना एवं कार्यवाही पर सहमति व्यक्त करते हुए तदनुसार पुष्टि की गई।	निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
<b>60 मद संख्या-2</b>			
46 मद संख्या-4	हरिद्वार विकास क्षेत्र के अन्तर्गत तीर्थ एवं पर्यटन स्थल होने के कारण आवासीय भवनों को होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि में परिवर्तन करने विषयक।	हरिद्वार विकास क्षेत्र के हर की पैड़ी एवं गंगा किनारे स्थित घनी आबादी क्षेत्रान्तर्गत आवासीय भवनों को होटल, लॉज, गेस्ट हाउस में अवशेष अनुपालन भी कर लिया जाय।	प्रश्नगत प्रकरण में सर्वानन्द घाट से राजघाट कनखल तक गंगा नदी तट से 200 मीटर की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है, तदनुसार उपलब्ध भवन उपविधि/महायोजना के अनुसार लम्बित प्रकरणों पर शासनादेश संख्या 1743 दिनांक 14.12.2016 द्वारा अग्रोत्तर कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
56 मद संख्या-12	इन्द्रलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध नर्सरी स्कूल भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में।	इन्द्रलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध नर्सरी स्कूल भूखण्ड आवंटन विषयक प्रकरण पर प्राधिकरण अधिवक्ता शीघ्र मा० उच्च न्यायालय में वाद का निस्तारण शीघ्रताशीघ्र सुनिश्चित करते हुए मा० न्यायालय के आदेश से बोर्ड को अवगत कराये।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका को शीघ्र निस्तारण कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त याचिका याचिका की ओर से अनुपूरक शपथपत्र दाखिल किये जाने हेतु समय प्रदान किया गया था। याचिका को शीघ्र निस्तारण कराये जाने हेतु प्राधिकरण की ओर से प्रतिवाद कर रहे सुश्री पूजा बांगा एडवोकेट को निर्देश दिये गये हैं। चूंकि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। मा० न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जायेगी। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

**मद संख्या-63 (01.अ)**

**60-(3.ब)** ऋषिकेश महायोजना भाग-ब (2011-2026) तैयार कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त ऋषिकेश महायोजना, हरिद्वार जोनल प्लान एवं रूडकी मास्टर प्लान समबन्धी कार्य को प्राथमिकता से समथान्तर्गत सम्पादित किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

**मद संख्या-63 (02)**

हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार का वित्तीय वर्ष 2016-17 का वास्तविक आय-व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत आय-व्यय पर विस्तार से चर्चा हुई तदोपरान्त बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 का वास्तविक आय-व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रस्तावित आय-व्यय को सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।

**मद संख्या-63 (03)**

Ease of doing business के अन्तर्गत ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि /विनियम-2011 (संशोधन-2015) यथासंशोधित-2016 को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

**मद संख्या-63 (04)**

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उपकर हेतु कुर्सी क्षेत्रफल की दरों का निर्धारण तथा उपकर की प्राप्ति को उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निधि में जमा कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर आवश्यक दिशा-निर्देश / मार्गदर्शन हेतु शासन को सन्दिग्ध किये जाने का सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया।

Secretary

Vice Chairman

Commissioner / Chairman

60 मद संख्या-03

60(03) (अ)	स्वीकृत हरिद्वार महायोजना 2025 में प्रस्तावित विभिन्न प्रखण्डों के जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने का विषयक।	स्वीकृत हरिद्वार महायोजना-2025 में प्रस्तावित विभिन्न प्रखण्डों के जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने के कार्य में बिलम्ब के सम्बन्ध में वरिष्ठ नियोजक द्वारा बोर्ड को आश्वस्त कराया गया कि 03 सेक्टर के जोनल प्लान प्राधिकरण को उपलब्ध करा दिये गये हैं और उनके स्तर से शीघ्र ही 03 अन्य सेक्टर के जोनल प्लान उपलब्ध करा दिये जायेंगे इस प्रकार 06 सेक्टरों के जोनल प्लान पर जन-सामान्य के सुझाव प्राप्त करने एवं प्राप्त सुझावों पर बोर्ड की विशेष बैठक बुलाये जाने का अनुरोध शीघ्र बोर्ड से किया जायेगा। कार्य में तेजी लाने एवं शीघ्र सम्पादित किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये	निर्णय के अनुपालन में प्राप्त जोनल प्लान पर जन सामान्य से पर आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की 61 वीं विशेष बैठक परिचालन विधि के माध्यम से दिनांक 02.01.2017 को आयोजित की गयी। विस्तृत विवरण उक्त बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या में उपलब्ध है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
60(03) (ब)	ऋषिकेश महायोजना भाग-ब (2011-2026) तैयार कराने के सम्बन्ध में	ऋषिकेश महायोजना भाग-ब (2011-2026) तैयार कराने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा कार्य को अनुबन्ध के अनुसार समयान्तर्गत सम्पादित न किये जाने पर वरिष्ठ नियोजक द्वारा अवगत कराया गया है कि महायोजना के बेस मैप का क्षेत्रफल एवं राजस्व विभाग/अन्य विभागों का सीमांकन एवं भूमि का क्षेत्रफल समान होना आवश्यक है, कार्य को शीघ्र सम्पन्न करने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में ऋषिकेश क्षेत्र की महायोजना के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही से बोर्ड को नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया जायेगा।
60(03) (स)	हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण के गठन उपरान्त प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित रूडकी क्षेत्र में हेतु महायोजना तैयार किये जाने का विषयक	हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण के गठन उपरान्त प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित रूडकी क्षेत्र हेतु महायोजना तैयार कराने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। वरिष्ठ नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया तथा मास्टर प्लान बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिस पर कार्य को प्राथमिकता से समयान्तर्गत सम्पादित किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में रूडकी क्षेत्र की महायोजना हेतु सम्बन्धित फर्म द्वारा सर्वे का कार्य पूर्ण करते हुए सर्वेशीट की प्रति प्राधिकरण एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी गयी है। सर्वेशीट की जांच नियोजन विभाग द्वारा की जानी है। अतः इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही से बोर्ड को नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया जायेगा।

मद संख्या 60(04)	हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2016-17 का प्रस्तावित आय-व्ययक। वित्तीय वर्ष 2015-16 का वास्तविक आय-व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु प्राधिकरण का निम्नलिखित आय-व्ययक बोर्ड के सम्मति अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2015-16 का वास्तविक आय-व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 का प्रस्तावित आय-व्ययक पर बोर्ड में विस्तार से चर्चा हुई तथा चर्चा के उपरान्त प्राधिकरण को अपनी आय बढ़ाने के निर्देश दिये गये तथा प्रस्तुत आय-व्ययक को सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया	हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2016-17 का वास्तविक आय-व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 का प्रस्तावित आय-व्ययक का प्रस्ताव पृथक से एजेण्डा मद संख्या 63 (02) पर पृथक से प्रस्तुत है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
मद संख्या 60(05)	उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग-2, देहरादून द्वारा प्रस्तावित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/ विनियम-2011 (संशोधन-2015) में किये गये संशोधन को अंगीकृत किये जाने विषयक।	उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग-2, देहरादून द्वारा प्रस्तावित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि /विनियम-2011 (संशोधन-2015) में किये गये संशोधन को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अंगीकृत करते हुए तदनुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये	निर्णय के अनुपालन में संशोधित उपविधि को कार्यालय आदेश संख्या 1989 दिनांक 03 जनवरी 2017 द्वारा लागू किया गया। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
मद संख्या 60(06)	कार्यालय विनियमित क्षेत्र रूडकी द्वारा विनियमित क्षेत्र रूडकी में कराये गये विभिन्न विकास कार्यों की अवशेष देयता के सम्बन्ध में।	कार्यालय विनियमित क्षेत्र रूडकी द्वारा कराये गये विभिन्न विकास कार्यों की अवशेष देयता सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तथा चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से वर्तमान तक अवशेष सृजित देयता का भुगतान अवस्थापना विकास निधि से कराये जाने का निर्णय लिया गया। आयकर व व्यापार कर की कटौती व जमा का मिलान व पुष्टि भी करके बोर्ड को अवगत कराया जाय।	निर्णय के अनुपालन में प्रश्नगत कार्य हेतु आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा अवस्थापना विकास निधि मद संख्या 83,12,858-51 की स्वीकृति दिनांक 02.11.2017 को प्रदान की गयी। प्रदत्त स्वीकृति के अनुपालन में देयता का भुगतान किया गया है। किये गये भुगतान से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर की कटौती की गयी है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
मद संख्या 60(07)	हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण के गठन के उपरान्त विनियमित क्षेत्र रूडकी के रिकार्ड/ अभिलेखों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।	हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण के गठन के उपरान्त विनियमित क्षेत्र रूडकी के रिकार्ड /अभिलेखों के हस्तान्तरण विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। सर्व-सम्मति से अप्राप्त अभिलेखों के सम्बन्ध में श्री विकास कुमार, कनिष्ठ सहायक के विरुद्ध मूल विभाग से विभागीय जांच कराने एवं एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के निर्णय बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से लिया गया।	निर्णय के अनुपालन में विनियमित क्षेत्र का रिकार्ड प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया गया। अवशेष रिकार्ड के लिए विनियमित क्षेत्र के सम्बन्धित कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग को कार्यालय पत्र संख्या 1206 दिनांक 29.09.2016 तथा पत्र संख्या 966 दिनांक 14.06.2017 तथा पत्र संख्या 1404 दिनांक 26.07.2017 प्रेषित किया गया (संलग्नक 01 पर उपलब्ध)। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

<p>मद संख्या 60(08)</p>	<p>प्रबन्धक श्री प्रेमनगर आश्रम द्वारा हरिद्वार- ज्वालापुर मुख्य मार्ग पर स्थित श्री प्रेमनगर आश्रम परिवार में मार्ग के किनारे निर्मित अग्रभाग में निर्मित "आश्रम" उपयोग के ब्लॉक में भूतल पर पूर्व स्वीकृति के विपरीत बिना अनुमति के निर्मित किये "बैंकों" के निर्माण को शमन कराये जाने के साथ परिसर अन्तर्गत अन्य भवनों के नव निर्माण हेतु प्रस्तुत किये गये मानचित्र संख्या मान0/हरि0/आर0एस0-75/223/2015-16 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।</p>	<p>प्रबन्धक श्री प्रेमनगर आश्रम द्वारा हरिद्वार- ज्वालापुर मुख्य मार्ग पर स्थित श्री प्रेमनगर आश्रम परिसर में मार्ग के किनारे निर्मित अग्रभाग में निर्मित "आश्रम" उपयोग के ब्लॉक में भूतल पर पूर्व स्वीकृति के विपरीत बिना अनुमति के निर्मित किये "बैंकों" को अनुमन्य करने का बोर्ड द्वारा निर्णय हुआ। यदि अन्य भवनों हेतु आवश्यकता हो तो सी0टी0सी0पी0 से राय प्राप्त करने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में आवेदक को मानचित्र संख्या मान0/हरि0/आर0एस0-75/223/2015-16 में कार्यालय पत्र संख्या 20 दिनांक 23 अप्रैल 2017 द्वारा कुल आरोपित शुल्क कुल रू0. 47,25,289-00 प्राधिकरण कोष में जमा कराये जाने हेतु सूचित किया गया। आवेदक द्वारा आरोपित शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा कराये जाने के पश्चात मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। जिसपर आवेदक द्वारा अधिक शुल्क आरोपित किये जाने की आपत्ति की गयी है। आपत्ति पर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।</p>
<p>मद संख्या 60(09)</p>	<p>श्री समरेस कुमार सिंह, पुत्र श्री राम नाथ सिंह, डायरेक्टर मैसर्स माईटी ऑटो व्हील्स प्रा0लि0 द्वारा ग्राम अतमलपुर बौंगला, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा नं0-917 में स्थित भूमि पर मोटर शोरूम एवम् सर्विस स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये मानचित्र संख्या- मान0/हरि0/आर0एस0-54/96/2016-17 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।</p>	<p>श्री समरेस कुमार सिंह पुत्र श्री राम नाथ सिंह, डायरेक्टर मैसर्स माईटी ऑटो व्हील्स प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम अतमलपुर बौंगला परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा नं0-917 में स्थित भूमि पर मोटर शोरूम एवं सर्विस स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये। मानचित्र सं0-मान0/हरि0/आर0एस0-54/96/2016-17 विषयक प्रस्ताव हरिद्वार महायोजना के अनुसार इसकी स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड/नियन्त्रक प्राधिकारी सभा द्वारा अनुमन्य है। अतः तदनुसार बोर्ड द्वारा अनुमन्य सीमान्तर्गत मोटर वाहन मरम्मत कार्यशाला/गैराज अनुमन्य की गई।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में मानचित्र सं0-मान0/हरि0/आर0एस0-54/96/2016-17 दिनांक 07.02.2017 को स्वीकृत करते हुए कार्यालय पत्र संख्या 2205 दिनांक 07.02.2017 द्वारा निर्गत किया गया। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>

<p>मद संख्या 60(10)</p>	<p>महन्त ललितागिरी जी महाराज, सचिव, निरंजनी अखाड़ा द्वारा ग्राम जगजीतपुर के खसरा नं०-446 मि०, 443, 442 मि०, 444, लक्सर मार्ग, हरिद्वार में स्थित भूमि पर आश्रम/संस्थाके अनुयाईयों एवं सेवकों हेतु आवासीय फ्लैटों के रूप में निर्माण किये जाने की स्वीकृति हेतु (ग्रुप हाउसिंग) प्रस्तुत किये गये मानचित्र संख्या-मान०/हरि०/आर०एस०-84/236/2015-16 के सम्बन्ध में।</p>	<p>महन्त ललितागिरी जी महाराज, सचिव, निरंजनी अखाड़ा द्वारा ग्राम जगजीतपुर के खसरा नं०-446 मि०, 443, 442 मि०, 444, लक्सर मार्ग, हरिद्वार में स्थित भूमि पर आश्रम/संस्था के अनुयाईयों एवं सेवकों हेतु आवासीय फ्लैटों (ग्रुप हाउसिंग) के रूप में निर्माण किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये मानचित्र सं०-मान०/हरि०/आर०एस०-84/236/2015-16 विषयक प्रस्ताव हरिद्वार महायोजना के अनुसार इसकी स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड /नियन्त्रक प्राधिकारी सभा द्वारा अनुमन्य है। अतः तदनुसार बोर्ड द्वारा स्टाफ कर्मियों हेतु आवासीय फ्लैट अनुमन्य किया गया।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में मानचित्र संख्या मान०/हरि०/आर०एस०-84/236/2015-16 स्वीकृत करते हुए कार्यालय पत्र संख्या 2538 दिनांक 22.03.2017 द्वारा निर्मित किया गया। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
<p>मद संख्या 60(11)</p>	<p>श्री विनोद कुमार गोस्वामी पुत्र श्री जगदीश कुमार गोस्वामी द्वारा ग्राम रानीपुर (बाहरहदूद) खसरा नं०-824 मि०, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला-हरिद्वार में स्थित भूमि पर निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये मानचित्र संख्या-मान०/हरि०/आर०एस०-41/75/2016-17 के सम्बन्ध में।</p>	<p>श्री विनोद कुमार गोस्वामी पुत्र श्री जगदीश कुमार गोस्वामी द्वारा ग्राम रानीपुर (बाहरहदूद) खसरा नं०-824 मि०, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला-हरिद्वार में स्थित भूमि पर निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये मानचित्र सं०-मान०/हरि०/आर०एस०-41/75/2016-17 विषयक प्रस्ताव हरिद्वार महायोजना के अनुसार इसकी स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड /नियन्त्रक प्राधिकारी सभा द्वारा अनुमन्य है। अतः तदनुसार बोर्ड द्वारा वाणिज्यिक केन्द्र /होटल के लिये उपयोग अनुमन्य किया गया।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल का मानचित्र पूर्व से भूमानन्द हॉस्पिटल के नाम से स्वीकृत स्वीकृत मानचित्रों में पार्किंग हेतु आरक्षित किया गया था। उक्त स्थल को पूर्व भूस्वामी द्वारा आवेदक को विक्रय कर दिया गया। पूर्व निर्मित हॉस्पिटल के मवन हेतु जबतक पूर्व भूस्वामी द्वारा हॉस्पिटल के सशोधित मानचित्र नियमानुसार स्वीकृत नहीं करा लिए जाते तब तक उक्त आवेदन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है। जिसके फलस्वरूप मानचित्र अस्वीकृत करते हुए कार्यालय पत्र संख्या 243 दिनांक 01.5.2017 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>



मद संख्या  
60(12)

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य  
मद

1- श्री विनोद कुमार गोस्वामी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए स्वीकृत मानचित्र सं0-348 /महा-1(क)मान/हरि/आर0एस0/73/216/2015-16 डायरेक्टर एन0डी0आर0कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा स्वीकृत है उक्त स्वीकृति के अधीन निर्मित किये जाने वाले फ्लैटों को प्राधिकरण के माध्यम से विक्रय कराये जाने का अनुरोध किया गया। प्राधिकरण के माध्यम से जो प्रचार-प्रसार किया जायेगा उस पर होने वाले व्यय का वहन आवेदक द्वारा स्वयं किया जायेगा। प्राधिकरण के माध्यम से सम्पत्ति विक्रय किये जाने के एवज में प्राधिकरण को विक्रित सम्पत्ति मूल्य का 10 प्रतिशत प्राधिकरण को दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री नजाकत आदि द्वारा प्राधिकरण के समक्ष तलपट मानचित्र स्वीकृति तथा उसके अन्तर्गत विकसित भूखण्डों को प्राधिकरण के माध्यम से विक्रय किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिसमें योजनान्तर्गत समस्त विकास कार्य स्वयं कराये जाने के साथ-साथ प्राधिकरण के माध्यम से सम्पत्ति विक्रय पर सम्पत्ति मूल्य का 10 प्रतिशत लाभांश प्राधिकरण को दिया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव बोर्ड की 58वीं बैठक द्वारा नियुक्त समिति को सन्दर्भ करने का निर्णय लिया गया। इस विषय में बोर्ड की 58वीं बैठक द्वारा गठित समिति की नीतिगत संस्तुति अभी प्रतीक्षित है।

3- श्री मुकेश कुमार आहुजा आदि द्वारा आवास विकास परिषद, विवेक विहार कालोनी के भूखण्ड सं0-392 पर निर्मित निर्माण को ध्वस्त करते हुए व्यवसायिक कार्यों हेतु नवीन निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत स्थल देवपुरा से आर्यनगर चौक स्थित मुख्य मार्ग पर स्थित है जिसका हरिद्वार महायोजना-2025 के अनुसार भू-उपयोग उक्त मार्ग के मध्य से 15 मीटर की दूरी

1. निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि निजी सम्पत्ति को प्राधिकरण के माध्यम से विकसित किये जाने तथा विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में शासनदेशों के नियम/उपनियमों में कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त प्रस्ताव विचार योग्य नहीं है।  
अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

2. निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि निजी सम्पत्ति को प्राधिकरण के माध्यम से विकसित किये जाने तथा विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में शासनदेशों के नियम/उपनियमों में कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त प्रस्ताव विचार योग्य नहीं है।  
अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

3. निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि आवास अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 213/V-2-2017-412(आ0)/2001 दिनांक 11 अप्रैल 2017 द्वारा आदेशित किया गया है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित ऐसी परिसम्पत्तियों/परियोजनाओं, जिन पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1985 की धारा 32 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गयी है तथा

के पश्चात 50 मीटर की दूरी तक व्यवसायिक भू-उपयोग के अन्तर्गत है। प्रश्नगत स्थल आवास विकास द्वारा स्वीकृत आवासीय तलपट मानचित्र के अन्तर्गत है। आवास-विकास द्वारा विकसित अनेकों कालोनियों हरिद्वार महायोजना के अन्तर्गत स्थित है। इस प्रकार के प्रकरणों में नीति निर्धारण की आवश्यकता है। अतः आवास-विकास द्वारा स्वीकृत तलपट मानचित्र के अन्तर्गत हरिद्वार महायोजना-2025 में निर्दिष्ट भू-उपयोग के अनुसार स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून से राय प्राप्त करते हुए तदनुसार प्राधिकरण को कार्यवाही किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

4- श्री भगत राम कोठारी के विरुद्ध नटराज चौराहा देहरादून मुख्य मार्ग पर बिना स्वीकृति के बैंकट हॉल आदि का निर्माण कार्य किये जाने के कारण नो10/ऋषि0/129/2014-15 विचाराधीन है। आवेदक द्वारा उक्त के सम्बन्ध में आवेदन पत्र एवं मानचित्र प्रस्तुत करते हुए पूर्व में किये गये निर्माण को सम्पूर्ण रूप से ध्वस्त कर होटल /बैंडिंग प्वाइंट के निर्माण की अनुज्ञा हेतु अनुरोध किया गया है। हरिद्वार महायोजना के अनुसार इसकी स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड /नियन्त्रक प्राधिकारी सभा द्वारा अनुमत्य है। यदि प्रश्नगत स्थल नगर सीमा के अन्तर्गत है तो वह नगर पालिका ऋषिकेश से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए तदनुसार बोर्ड द्वारा अनुमत्य सीमान्तर्गत मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही का निर्देश प्राधिकरण को दिये।

जिन पर उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 43 के तहत प्राधिकार उत्तराखण्ड के प्राधिकारियों का है, में सम्पादित किए जाने वाले किसी भी प्रकार के विकास (स्थल विकास/भवन निर्माण) की गतिविधियों तथा भू-उपयोग आदि के संदर्भ में योजना विशेष की अवस्थिति के अनुसार कार्यवाही उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद द्वारा की जाएगी।

उक्त के अनुपालन में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियां उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को कार्यालय पत्र संख्या 672 दिनांक 24 मई 2017 द्वारा हस्तान्तरिक की जा चुकी हैं।

अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

4. निर्णय के अनुपालन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र को स्वीकृत करते हुए कार्यालय पत्र संख्या 460 दिनांक 20.01.2017 द्वारा निर्गत किया गया।

अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

5- रूडकी में नजूल भूमि को प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने हेतु उप सचिव को अधिकृत किये जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया ताकि रूडकी में ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण कर जन-सामान्य को इसका अधिकाधिक लाभ प्राप्त कराया जा सके तथा प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

6- प्राधिकरण में कार्यरत मानचित्रकार के संशोधित वेतनमान को शासन के आदेशों के अनुसार लागू किये जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा प्राधिकरण को कार्यवाही किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

7- हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण में आउट सोर्सिंग पर कार्यरत समस्त कर्मियों को समानता बनाये रखे जाने हेतु उपनल के माध्यम से ही एक ही प्रकार से भरे जाने का निर्णय सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा तदनुसार प्राधिकरण को कार्यवाही करने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

8- इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 सिडकुल में स्थित 10.50 एकड भूमि के विक्रय सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई तथा चर्चा उपरान्त बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति निर्णय लिया गया कि सिडकुल में कार्यरत कमजोर वर्ग (इकॉनॉमिक वीकली सेक्शन) एवं अल्प आय वर्ग के लोगों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए योजना में ई0डब्लू0एस0 एवं अल्प आय वर्ग के भवनों सहित वाणिज्यिक प्रावधान भी करने का निर्देश प्राधिकरण को बोर्ड द्वारा दिये गये।

5. रूडकी स्थित खसरा न0. 254, 255, 256 खेवट न0. 09 स्थित ग्राम मलकपुर-लतीफपुर की भूमि का कब्जा हस्तान्तरण एवं सीमांकन हेतु उपजिलाधिकारी रूडकी को कार्यालय पत्र संख्या 337 दिनांक 23.05.2016 द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के क्रम में पुनः अनुस्मारक पत्र संख्या 1172 दिनांक 26.09.2016 एवं पत्रांक 1870 दिनांक 23.01.2016 प्रेषित किया गया। उपजिलाधिकारी की आख्या अपेक्षित है।

6. निर्णय के अनुपालन में कार्यदेश संख्या 88 दिनांक 13.04.2017 द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।  
अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

7. निर्णय के अनुपालन में आवश्यकतानुसार कर्मियों की तैनाती करा दी गयी है।  
अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

8. प्रश्नगत प्रकरण में कार्य हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम का चयन कार्यालय पत्र संख्या 1788 दिनांक 16.12.2016 द्वारा कराते हुए डी0पी0आर0 आदि तैयार किये जाने हेतु कार्यालय पत्र संख्या 1944 दिनांक 31.12.2016 द्वारा रू0. 1.00 करोड का भुगतान किया गया। कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 का निष्पादन अभी तक नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु कार्यालय पत्र संख्या 1137 दिनांक 03.07.2017 प्रेषित किया गया।

**मद संख्या 63(01)(ब)**

**हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, की 61 वीं बोर्ड बैठक (परिचालन के माध्यम से)**

**दिनांक 02.01.2017 की अनुपालन आख्या :-**

प्राधिकरण की 61 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 02.01.2017 (परिचालन के माध्यम से) की अनुपालन आख्या		
मद संख्या 61(01)	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) में भू-उच्चिकरण सम्बन्धी प्राविधान में संशोधन के सम्बन्ध में।	शासन के पत्र संख्या 1704/V-2-2016-67 (आ0)/2016 दिनांक 11 नवम्बर 2016 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) में भू-उच्चिकरण शुल्क सम्बन्धी प्राविधान में संशोधन के शासन के पत्र संख्या 2013/V-2015-55(आ0) 2006-टी0सी0 दिनांक 08.12.2015 द्वारा लागू उक्त उपविधि/विनियम को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा संस्तुति सहित अंगीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये।
मद संख्या 61(01)	स्वीकृत हरिद्वार महायोजना 2025 में प्रस्तावित विभिन्न प्रखण्डों के जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने विषयक।	<p>01. स्वीकृत महायोजना-2025 में प्रस्तावित प्रखण्डों के अन्तर्गत जोन 01 से 06 तक के जोनल डवलपमेन्ट प्लान (प्रारूप-2025) का अनुमोदन किया गया एवं जोनल प्लान के मानचित्र व रिपोर्ट को हिन्दी में तैयार करते हुए दिनांक 11 जनवरी से 11 फरवरी 2017 तक जनसामान्य एवं विभिन्न अभिकरणों से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करते हुए प्रदर्शनी का आयोजन किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया।</p> <p>02. प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों के निराकरण एवं सुनवाई हेतु निम्न समिति का गठन बोर्ड द्वारा किया गया।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।</li> <li>सचिव, हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण</li> <li>अधिसासी अभियन्ता, हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।</li> </ol>
		निर्णय के अनुपालन में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) में भू-उच्चिकरण शुल्क सम्बन्धी प्राविधान में संशोधन को कार्यालय आदेश संख्या 1989 दिनांक 03 जनवरी 2017 द्वारा लागू किया गया। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
		निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि जोनल डवलपमेन्ट का सर्वे कराने वाली संस्था मैसर्स फीड बैक इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा प्रस्तुत 01 से 06 प्रखण्डों पर आपत्ति एवं सुझाव चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण नहीं करायी जा सकी। इसी मध्य कार्यदायी संस्था द्वारा अवशेष 05 प्रखण्डों 07 से 11 का सर्वे प्लान प्रस्तुत किया गया है जिसका परीक्षण नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा कराया जाना है। प्राप्त मानचित्रों के परीक्षण हेतु कार्यालय पत्र संख्या 1064 दिनांक 21.06.2017 द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को प्रेषित किया गया है। उक्त का परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। अध्यावधिक प्रगति के सम्बन्ध में यथारिथति से सी0टी0सी0पी0 द्वारा बोर्ड को अवगत कराया जायेगा।

03. ःषिकेश महायोजना कार्य हेतु आने वाले व्यय यथा यात्रा भत्ता देयक, स्टेशनरी आदि एवं महायोजना प्रारूप प्रदर्शनी सम्बन्धी कार्यों पर होने वाले व्यय हेतु रू0. 3.00 लाख की धनराशि सहयुक्त नियोजक, गडवाल सम्भागीय नियोजन खण्ड देहरादून को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा दिये गये।

03 निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 695 दिनांक 25 मई 2017 द्वारा सहयुक्त नियोजक, गडवाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को रू0. 3.00 लाख का मुगतान चैक संख्या 723807 दिनांक 17.05.2017 ओरियन्टल बैंक ऑफ इण्डिया के माध्यम से किया जा चुका है।  
अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

मद संख्या 63(01)(स)  
हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, की 62 वीं बोर्ड बैठक (परिचालन के माध्यम से)  
दिनांक 02.01.2017 की अनुपालन आख्या :-

प्राधिकरण की 62 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 02.01.2017 (परिचालन के माध्यम से) की अनुपालन आख्या			
मद संख्या 62(01)	हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों को 7वाँ वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 294/XXVII(7)30(11)/2016 दिनांक 30 दिसम्बर 2016 को अंगीकृत करते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्गत वेतन मैट्रिक्स के अनुसार 7वां वेतन आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों को अंगीकृत करते हुए प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारियों को भुगतान किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को बोर्ड द्वारा दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 1991 दिनांक 03.01.2017 द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

मद संख्या-63(02)

हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2016-17 का वास्तविक आय-व्ययक  
तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्राधिकरण का निम्नलिखित प्रस्तावित आय-व्ययक  
प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:-

Haridwar Development Authority, Haridwar Proposed Budget 2017-18						
	Actual 31.03.2015	Actual 31.03.2016	Proposed 2016-17	Actual 31.03.2017	Proposed 2017-18	Actual 30.06.2017
<b>Opening Balance</b>	4584.58	5073.63	5961.01	5961.01	6188.52	6188.52
<b>A Revenue Income</b>						
1 Interest on investments	313.05	355.69	300.00	359.31	320.00	0.00
2 Map Fee	253.03	306.29	100.00	41.53	150.00	23.82
3 Subdivision Fee 50%	0.00	0.00	150.00	204.74	200.00	53.34
4 Compound Fee 25%	369.27	73.76	175.00	71.06	175.00	28.70
5 Supervision Fee	40.89	29.47	45.00	52.08	60.00	17.25
6 Other Income ( Tender, Lease rent Etc.)	6.58	24.66	30.00	63.63	30.00	2.75
7 Development Fee 10%	217.65	23.33	50.00	32.85	75.00	11.19
8 Land use conversion Fee 10%	23.40	2.11	5.00	11.25	6.00	0.00
9 Ambaar Fee	12.80	10.50	20.00	14.78	25.00	5.04
10 Free hold Fee 10%	28.76	2.75	10.00	1.00	5.00	0.01
11 Maintenance Fee of Harilok	2.36	7.56	15.00	2.77	5.00	0.98
12 Maintenance Fee of Inderlok	0.00	7.38	15.00	7.04	5.00	1.31
13 Maintenance Fee of Transport Nagar,	0.00	0.11	5.00	0.30	4.00	0.00
14 Haritama Fee	25.60	21.00	30.00	29.56	50.00	10.07
15 Sale of Broucher	0.58	0.66	5.00	0.00	10.00	0.35
<b>A Total Revenue Income</b>	<b>1293.97</b>	<b>865.27</b>	<b>955.00</b>	<b>891.90</b>	<b>1120.00</b>	<b>154.81</b>
<b>B Capital Income</b>						
1 Shivlok scheme	3.16	3.56	2.00	2.18	3.00	1.73
2 Harilok scheme	2.35	7.43	25.00	5.67	25.00	6.71
3 Shyamlok scheme	3.54	0.45	5.00	0.28	10.00	9.55
4 Ashray Yojana	3.78	9.04	10.00	7.08	10.00	11.58
5 Transport Nagar, Haridwar	340.41	196.13	3000.00	121.90	3500.00	33.50
6 Indra Lok Scheme -1	89.36	156.58	2200.00	26.88	2300.00	18.96

Secretary

Vice Chairman

Commissioner / Chairman

Haridwar Development Authority, Haridwar Proposed Budget 2017-18						
	Actual 31.03.2015	Actual 31.03.2016	Proposed 2016-17	Actual 31.03.2017	Proposed 2017-18	Actual 30.06.2017
7 Indra Lok Scheme - 2	0.00	0.00	1500.00	0.00	1700.00	0.00
8 NEW Scheme	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
9 Loan (HUDCO & other financial inst.)	0.00	0.00	1450.00	0.00	1200.00	0.00
10 Recovery from staff for HBA & car loan etc.	0.56	0.32	1.00	0.28	7.00	0.00
11 Deposit work (AKM, MLA Nidhi Etc.)	0.00	622.19	5.00	3.45	0.00	0.00
12 Infrast. Devt. Fund Works	0.00	444.83	1060.00	785.46	1000.00	225.15
13 SELTER FUND EWS/LIG	0.00	0.00	50.00	320.85	150.00	14.23
<b>Total Capital Income</b>	<b>434.16</b>	<b>1440.53</b>	<b>9808.00</b>	<b>1274.03</b>	<b>10405.00</b>	<b>321.41</b>
<b>Total Income (A+B)</b>	<b>1728.13</b>	<b>2305.80</b>	<b>10763.00</b>	<b>2165.93</b>	<b>11525.00</b>	<b>476.22</b>
<b>Total Income including Opening balance</b>	<b>6312.71</b>	<b>7379.43</b>	<b>16724.01</b>	<b>8126.94</b>	<b>17713.52</b>	<b>6664.74</b>
<b>A Revenue Expenditure</b>						
<b>1- Establishment</b>						
(i) Staff salary & allowances	268.02	333.76	350.00	317.10	450.00	105.11
(ii) T.A. bill	1.46	1.84	2.00	1.20	2.00	0.01
(iii) Encashment / Pension Anshdan	0.00	0.00	10.00	4.83	5.00	0.00
(iv) Honorarium	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
(v) Medical re-imbursment	0.21	0.31	5.00	1.27	3.50	0.60
<b>Total (A)</b>	<b>269.69</b>	<b>335.91</b>	<b>367.50</b>	<b>324.40</b>	<b>461.00</b>	<b>105.72</b>
<b>B</b>						
<b>2- Office / Misc. Expenditure</b>						
(i) Postage	0.36	0.39	0.50	0.30	0.50	0.00
(ii) Stationary	2.71	1.90	4.00	2.70	4.00	0.00
(iii) Office maintainace	16.02	17.00	25.00	11.40	25.00	5.76
(iv) Chairman office maintainace	2.73	1.08	4.00	0.49	3.00	0.00
(v) Telephone Expenditure.	3.00	2.42	3.00	18.00	2.50	0.35
(vi) Library	0.03	0.11	0.50	0.13	0.50	0.00
(vii) Leagal Expenditure.	36.30	19.80	40.00	8.67	40.00	0.21
(viii) Atithi Satkar	1.40	0.83	2.00	0.81	2.00	0.10
(ix) Printing	0.57	0.40	2.00	2.02	3.00	0.34
(x) Advertisement	8.67	22.80	25.00	10.84	20.00	3.94
(xi) Audit Fee	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00

Secretary

Vice Chairman

Commissioner / Chairman

Haridwar Development Authority, Haridwar							
Proposed Budget 2017-18							
		Actual	Actual	Proposed	Actual	Proposed	Actual
		31.03.2015	31.03.2016	2016-17	31.03.2017	2017-18	30.06.2017
(xii)	Misc. Expenditure	4.13	5.11	10.00	5.29	10.00	0.69
(xiii)	Employee Welfare	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
(xiv)	Maint. Of Machines	1.04	0.21	1.00	1.08	1.50	0.13
(xv)	Maint of Electricity	4.41	3.71	5.00	5.26	6.00	0.83
(xvi)	Discresonary	0.00	1.37	5.00	0.00	3.00	0.00
(xvii)	Temp. Advance.	2.41	0.00	2.00	0.00	2.00	0.42
(xviii)	Computer. Maintenance.	0.93	0.18	3.00	1.21	4.00	0.10
(xix)	Transfer of ambar Fee	6.26	0.00	15.00	4.51	15.00	0.00
(xx)	Maint. In Harilok	10.33	11.03	15.00	9.73	10.00	1.36
(xxi)	Maintenance Fee of Inderlok	0.00	5.40	25.00	18.15	10.00	0.00
(xxii)	Maintenance Fee of Transport Nagar,	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00
(xxiii)	F.B.T. & Other Tex	40.00	0.00	215.00	0.00	250.00	0.00
	<b>Total (B)</b>	<b>141.30</b>	<b>93.74</b>	<b>418.00</b>	<b>105.59</b>	<b>423.00</b>	<b>14.23</b>
C							
3-	<b>Vehicle</b>						
(i)	Maint.	4.37	2.94	5.00	2.47	5.00	0.35
(ii)	Petrol / Diesel	8.57	8.07	10.00	9.84	12.00	1.66
(iii)	Vehicle on rent	0.00	7.63	8.00	8.00	12.00	0.80
	<b>Total (C)</b>	<b>12.94</b>	<b>18.64</b>	<b>23.00</b>	<b>20.31</b>	<b>29.00</b>	<b>2.81</b>
D							
4-	<b>Advance to Employee</b>						
(i)	Vehicle	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
(ii)	H.B.A	0.00	0.00	7.00	6.21	10.00	0.00
	<b>Total (D)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.00</b>	<b>6.21</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>
E							
5-	<b>Master Plan</b>	26.95	0.00	40.00	41.68	50.00	3.00
	<b>Total (E)</b>	<b>26.95</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>41.68</b>	<b>50.00</b>	<b>3.00</b>
F							
6	<b>Computrization of H D A office</b>	0.00	0.00	80.00	72.90	50.00	0.00
	<b>Total Revenue exp..(A+B+C+D+E+F)</b>	<b>450.88</b>	<b>448.29</b>	<b>937.50</b>	<b>571.09</b>	<b>1025.00</b>	<b>125.76</b>

Secretary

Vice Chairman

Commissioner / Chairman

Haridwar Development Authority, Haridwar							
Proposed Budget 2017-18							
		Actual	Actual	Proposed	Actual	Proposed	Actual
		31.03.2015	31.03.2016	2016-17	31.03.2017	2017-18	30.06.2017
A	<b>Capital Exp.</b>						
1	Purchase of Vehicle / Machine	0.00	11.43	20.00	16.76	15.00	0.00
2	Purchase of Computer.	2.91	0.55	5.00	0.13	15.00	1.61
3	Furniture / fixture	1.92	6.48	5.00	4.84	8.00	0.00
	<b>Total (A)</b>	<b>4.83</b>	<b>18.46</b>	<b>30.00</b>	<b>21.73</b>	<b>38.00</b>	<b>1.61</b>
B							
5	<b>Purchase of Land</b>						
(i)	For New Scheme(T.P.NAGAR)	0.00	0.00	2500.00	0.00	3000.00	0.00
	<b>Total(B)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3000.00</b>	<b>0.00</b>
C							
6	<b>Development/ const Works in Schemes</b>						
(i)	Shivlok Scheme	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
(ii)	Shyamlok Scheme	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00
(iii)	Harilok Scheme	0.35	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00
(iv)	Repayment of loan	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00
(v)	Interest. on Loan	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
(vi)	Consultancy / Training Etc.	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
(vii)	Infrast. Devt. Fund Works	165.29	406.34	2200.00	695.00	2500.00	265.85
(viii)	Deposit Works /kumb mela 2016	0.00	270.14	300.00	281.12	25.00	17.85
(ix)	Haritama / Plantation	18.11	13.84	45.00	15.45	50.00	11.83
(x)	Transport. Nagar Scheme	12.70	0.64	300.00	7.00	300.00	0.00
(xi)	BHEL. Rehab. Scheme	6.79	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
(xii)	Indra Lok Scheme- 1	576.54	259.20	500.00	242.03	400.00	6.62
(xiii)	Indra Lok Scheme - 2	0.00	0.00	1000.00	100.00	1200.00	0.00
(xiv)	NEW Scheme	0.00	0.00	500.00	0.00	400.00	0.00
(xv)	Bord fund	3.59	1.51	500.00	0.00	500.00	0.00
	<b>Total (C)</b>	<b>783.37</b>	<b>951.67</b>	<b>5542.00</b>	<b>1346.60</b>	<b>5543.00</b>	<b>302.15</b>
	<b>Total Capital Expenditure</b>	<b>788.20</b>	<b>970.13</b>	<b>8072.00</b>	<b>1367.33</b>	<b>5581.00</b>	<b>303.76</b>
	<b>Total Expenditure</b>	<b>1239.08</b>	<b>1418.42</b>	<b>9009.50</b>	<b>1938.42</b>	<b>9608.00</b>	<b>429.52</b>
	<b>Closing Balance</b>	<b>6073.63</b>	<b>5981.01</b>	<b>7714.51</b>	<b>6188.52</b>	<b>8107.52</b>	<b>6235.22</b>

Secretary

Vice Chairman

Commissioner / Chairman



### मद संख्या-63(03)

**Ease of doing Business** के अन्तर्गत ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 (संशोधन-2015) यथासंशोधित-2016 को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 110/उडा-109/ई0ओ0डी0बी0/2016 दिनांक 03.05.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि **Ease of Doing Business** के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु एक **Single Uniform Byelaws** द्विभाषीय में बनाया जाना है। पूर्व में अंगीकृत की गयी मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अन्तर्गत समय-समय पर जारी आदेशों/अधिसूचनाओं को सम्मिलित करते हुए तथा समीक्षा बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को वेबसाइट में अपलोड किया जाना है एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा **Uniform Building Byelaws-2016** को हिन्दी में बनाया गया है। उक्त विषयक के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा आनलाइन मानचित्र स्वीकृति सिस्टम सॉफ्टवेयर की प्रगति के सम्बन्ध में समय-समय पर बैठक में भी उक्त के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। उक्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि यथा सम्भव संशोधन/सुझाव/सूचना/प्रस्ताव राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है ताकि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन-2015) यथासंशोधित-2016 को आवश्यक संशोधनों के साथ (द्विभाषीय भवन उपविधि को) वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

अतः संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून उत्तराखण्ड द्वारा प्राप्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन-2015) यथासंशोधित-2016 को आवश्यक संशोधनों के साथ अंगीकृत करने तथा हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण के परिक्षेत्र में लागू किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड/सभा के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

**मद संख्या-63(04)**

**भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उपकर हेतु कुर्सी क्षेत्रफल की दरों का निर्धारण तथा उपकर की प्राप्तियों को उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निधि में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।**

प्रमुख सचिव श्रम सेवायोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या 1355(1)/VIII/16-27(श्रम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर 2016 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरण, विभिन्न निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के स्तर पर निर्माण कार्य हेतु मानचित्रों की स्वीकृति के समय की जाने वाली शुल्क की कटौती के साथ ही निर्माण लागत के 01% उपकर की कटौती का प्रमाण प्राप्त होने के पश्चात ही मानचित्र की स्वीकृत जारी किये जाने तथा उपरोक्त दरों के अनुसार विभिन्न आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों के निर्माण कार्य पर उपकर की कटौती करने तथा उपकर की धनराशि को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/चैक/ऑन लाईन के माध्यम से जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के अनुपालन में कार्यालय आदेश संख्या 239 दिनांक 29.04.2017 द्वारा मानचित्र स्वीकृति अनुभाग एवं अनाधिकृत निर्माण अनुभाग स्वीकृति/शमन से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों में शासनादेश में निर्धारित कुर्सी क्षेत्रफल की दरों के आधार पर भवन की कुल लागत के सम्बन्ध में पंजीकृत वास्तुविद/आवंटी का प्रमाण पत्र (रु0. 10-00 के स्टाम्प पेपर पर) प्राप्त किया जाने हेतु आदेशित किया गया है। अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित समस्त देय शुल्कों आदि का निर्धारण उत्तराखण्ड आवास विभाग द्वारा किया जाता है। प्रश्नगत शुल्क (लेबर सेस) से सम्बन्धित प्राप्त आदेश आवास विभाग द्वारा निर्गत नहीं किये गये हैं।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि आमजन द्वारा यह शिकायत की जा रही है कि मानचित्र स्वीकृति के तत्काल उपरान्त ही भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाता है कतिपय मामलों में मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त भी निर्माण कार्य नहीं किया जाता है। जबकि लेबर सेस की देयता वास्तविक निर्माण पर आधारित है। इस प्रकार मानचित्रक स्वीकृति के समय वसूल किये जाने वाला (लेबर सेस) शुल्क व्यवहारिक प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः उक्त के सम्बन्ध में निम्न प्रकार निर्णय अपेक्षित है:-

01. देय शुल्क को आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन से शासनादेश निर्गत कराये जाने हेतु अनुरोध किया जाना।
02. श्रम विभाग पूर्व से ही कार्यरत है तथा समस्त व्यवस्थायें उनकी अपनी निर्धारित हैं। अतः प्रस्ताव है कि मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित मासिक सूचनाओं का प्रेषण लेबर/श्रम विभाग को कर दी जाय तथा उस पर देय शुल्कों की वसूली लेबर विभाग स्वयं अपने स्तर पर कर ले।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड/सभा के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या- 63 (05)

प्रधानमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत "Affordable Housing in partnership" में दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संख्या-83/उडा-47 (ग)/2017 दिनांक 26.04.2017 के द्वारा हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण को वर्ष 2022 तक के लिये 10000 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वर्षवार कार्य योजना तैयार करते हुये तदनुसार राज्य प्राधिकरण को अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड भवन उपविधि प्राविधानों के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस. भवन न बनाये जाने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा शेल्टर फण्ड के रूप में ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के निर्माण हेतु धनराशि प्राप्त की जाती है। हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण को भी उक्त मद में माह अप्रैल तक रुपये-3.26 करोड़ की धनराशि प्राप्त है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है।

उडा द्वारा निर्धारित लक्ष्य 10000 तथा शेल्टर फण्ड के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु प्राधिकरण के पास भूमि उपलब्ध नहीं है, जिस कारण उक्त निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति तथा शेल्टर फण्ड का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

अतः प्रस्ताव है कि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति एवं शेल्टर फण्ड के उपयोग हेतु हरिद्वार अथवा रूडकी क्षेत्र में उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत लैण्ड पुलिंग योजना के अन्तर्गत उचित भूमि के चयन एवं कय किये जाने हेतु सचिव, हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण को अधिकृत किये जाने के लिये निर्णय/विचार हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

19

**मद संख्या-63 (05)**

प्रधानमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत "Affordable Housing in partnership" में दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य विषयक प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण आवश्यक लैण्ड बैंक की व्यवस्था करें तथा हरिद्वार के अतिरिक्त ऋषिकेश, रूडकी, लक्सर, भगवानपुर क्षेत्र में भी आवासीय योजना बनाये जाने की कार्यवाही की जाये।

**मद संख्या-63 (06)**

हरिद्वार नगर में पार्किंग व्यवस्था विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा हुई तदोपरान्त हरिद्वार नगर हेतु प्रस्तावित पार्किंग स्थलों को अनुमोदित किया गया। अध्यक्ष, नगर पालिका, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका के पास एक भूमि पड़ी है जिस पर प्राधिकरण के साथ मिलकर पार्किंग विकसित की जा सकती है, अध्यक्ष महोदय द्वारा सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये गये कि नगर पालिका की भूमि तथा एक अन्य स्थल का चयन कर ऋषिकेश में दो मल्टी लेवल कार पार्किंग विकसित की जाये।

**मद संख्या-63 (07)**

इन्द्रलोक स्थित आवासीय योजना के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, एच0आर0डी0ए0 स्टाफ आवास को नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने विषयक प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

**मद संख्या-63 (08)**

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में कई वर्षों से अनिस्तारित सम्पत्तियों का शासनादेश सं0-4912/9-आ-1-99/32 हडकों/97 टी.सी. दिनांक 04-11-1999 के अन्तर्गत अलोकप्रिय घोषित किये जाने तथा सम्पत्तियों का मूल्य वास्तविक बाजार मूल्य तक कम किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि ट्रांसपोर्ट नगर के बड़े-बड़े भूखण्डों को यदि छोटे आकार में बदल दिया जाये तो उनकी बिक्री हो सकती है। इसी तरह E.W.S./L.I.G. भवनों को प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित करते हुए बिक्री की कार्यवाही की जाये।

Secretary

Vice Chairman

Commissioner / Chairman

## मद संख्या-63(06) हरिद्वार नगर में पार्किंग व्यवस्था के सम्बन्ध में।

हरिद्वार नगर में निरन्तर पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या एवं उसके सापेक्ष बढ़ते वाहनों के आवागमन के दृष्टिगत हरिद्वार नगर के सम्पूर्ण मार्गों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। उचित पार्किंग स्थल उपलब्ध न होने के कारण जन सामान्य द्वारा अपने वाहनों को मार्ग क्षेत्र में ही पार्क किया जाता है, जिस कारण आवागमन में काफी असुविधा होती है।

सुखी नदी खडखडी से लेकर आर्य नगर ज्वालापुर तथा भगत सिंह चौक से लेकर पुल जटवाड़ा ज्वालापुर के कटहरा बाजार में कहीं पर भी वाहनों के पार्क करने की व्यवस्था नहीं है। उक्त के अतिरिक्त सिंहद्वार से कनखल चौक तथा कनखल चौक से दक्ष मन्दिर मार्ग पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है।

अतः प्रस्ताव है कि उक्त क्षेत्र में जगह-जगह पर उचित स्थानों का चयन कर उसका कय उपलब्ध शासनादेशों अथवा आपसी सहमति के आधार पर करते हुये मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण कार्य कराया जाय। भूमि चयन का कार्य सचिव, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण तथा प्राधिकरण तहसीलदार द्वारा किया जाय।

अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की कुम्भ मेला एवं प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में हरिद्वार में 06 स्थानों पर वाहनों के पार्किंग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें से 04 स्थानों पर पार्किंग स्थल विकसित किये जाने के निर्देश मा0 मुख्यमंत्री जी दिये गये थे। अतः दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निम्न 04 स्थानों पर वाहनों की पार्किंग स्थल (MLCP) के रूप में विकसित करते हुये उसमें जन सामान्य हेतु आवश्यक खान-पान एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित पार्किंग स्थल निम्नवत हैं:-

1. बस टर्मिनल हरिद्वार - क्षेत्रफल 12075.00 वर्ग मी0
2. आर0टी0ओ0 चौक - क्षेत्रफल 11500.00 वर्ग मी0
3. हरिराम इन्टर कॉलेज- क्षेत्रफल 9200.00 वर्ग मी0
4. ऋषिकुल मैदान - क्षेत्रफल 12600.00 वर्ग मी0

उक्त पार्किंग स्थल का उपयोग आगामी कुम्भ / अर्द्धकुम्भ एवं दिन प्रति लगने वाले अन्य मेलों के लिये भी लाभदायी सिद्ध होगा। अतः पार्किंग स्थल का चयन करते हुये उसका अधिग्रहण / कय करते हुये आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

**मद संख्या-63(07)**

**इन्द्रलोक स्थित आवासीय योजना के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण स्टाफ आवास को नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।**

इन्द्रलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत व्यवसायिक भूखण्ड हेतु आरक्षित प्लॉट के भाग पर सचिव हेतु आवास एवं 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर अधिशासी अभियन्ता हेतु आवास निर्मित किये गये थे। प्राधिकरण अधिकारियों के लिए निर्मित आवास में मात्र सचिव, हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण द्वारा निवास किया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता का आवास लगभग 03 वर्ष से रिक्त चला आ रहा है।

अतः अधिशासी अभियन्ता के आवास का मूल्यांकन कराकर नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने का प्रस्ताव है तथा इन्द्रलोक आवासीय योजना में ग्रुप हाउसिंग के अन्तर्गत निर्मित 2 बी0एच0के0 भवन के 04 प्लॉट को (01 मुख्य वित्त अधिकारी, 01 अधिशासी अभियन्ता हेतु तथा 02 सहायक अभियन्ता हेतु) आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है ताकि भविष्य में अभियन्तत्रण से सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यकतानुसार स्टाफ क्वार्टर आवंटित किया जा सके।

प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-63 (08)

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में कई वर्षों से अनिस्तारित सम्पत्तियों का शासनादेश संख्या 4912/9-आ-1-99/32 हडको/97टी0सी0 दिनांक 04.01.1999 के अन्तर्गत अलोकप्रिय घोषित किये जाने तथा सम्पत्तियों का मूल्य वास्तविक बाजार मूल्य तक कम किये जाने विषयक

प्राधिकरण की विकसित सम्पत्तियों के आवंटन हेतु हरिलोक आवासीय योजना (वर्ष-1992 में विकसित) का 8 चरणों, इन्द्रलोक आवासीय योजना का 4 चरणों तथा ट्रांसपोर्ट नगर योजना का 07 चरणों में पंजीकरण खोला गया। हरिलोक आवासीय योजना (वर्ष-2006 में विकसित) के दुर्बल आय वर्ग के 13 भवन, अल्प आय वर्ग का 1 भवन, आश्रय के 17 भवन तथा इन्द्रलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के 11 भवन अनिस्तारित हैं। उक्त के अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट नगर योजना (वर्ष 2005 में विकसित) के अन्तर्गत जी-1 (गोदाम) का 1, जी-2 (गोदाम) के 13, जी-3 (गोदाम) के 15, जी-4 (गोदाम) के 30, डब्लू-1 (वर्कशाप) के 05, जीजी-1 (गैस गोदाम) का 01, एसएच-1 (शौरूम) के 02, एस-1 (स्पेयर पार्ट शॉप) के 17 तथा टीओ-1 (ट्रांसपोर्ट आफिस) के 21 भूखण्ड अनिस्तारित हैं। अनिस्तारित सम्पत्तियों का निस्तारण में प्रमुखतः आरक्षित वर्ग के आवेदक कम होने के कारण रिक्त है। शासनादेश संख्या-4912/9-आ-1-99/32 हडको/97टी0सी0 दिनांक 04 नवम्बर 1999 आवास अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन के आधार पर अलोकप्रिय घोषित करने तथा आय वर्ग, संख्या, आरक्षण की सीमा शिथिल किये जाने की स्वीकृति अपेक्षित है।

योजना के अन्तर्गत रिक्त सम्पत्तियों के पुर्नमूल्यांकन के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा स्वीकृत कॉस्टिंग गाईड लाईन में 15% वार्षिक ब्याज लगाकर मूल्य निर्धारित किये जाने का प्राविधान है। शासनादेश संख्या 4049/9-आ-1-99/16समिति/1998 दिनांक 15 नवम्बर 1999 के अनुसार यदि कोई योजना विकास प्राधिकरण / आवास विकास परिषद अपने स्रोतों कियान्वित करता है तो हडको द्वारा इस प्रकार के कार्य हेतु निर्धारित ब्याज दर पर 1% बढ़ाकर ब्याज लगाया जाएगा। हडको द्वारा ऋण की रेफरेन्स ब्याज दर 11% वार्षिक दी गयी है। उपरोक्त आधार पर भवनों का पुर्नमूल्यांकन 12% वार्षिक ब्याज की दर आती है।

अतः प्राधिकरण की उक्त अनिस्तारित सम्पत्तियों का निस्तारण हेतु आय वर्ग, संख्या तथा आरक्षण के प्रतिबन्धित की शिथिलता एवं सम्पत्तियों का पुर्नमूल्यांकन 12% वार्षिक ब्याज की दर से किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-63 (09)

श्री हरगोविन्द जुयाल सचिव, मार्डन स्कूल सोसायटी के नाम से संचालित जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 8 तक) के निर्मित भवन को शमन स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि श्री हरगोविन्द जुयाल, सचिव मार्डन स्कूल सोसायटी द्वारा ढालवाला तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल द्वारा खसरा न0 1/13 रकबा 3,460.00 वर्ग मी0 भूमि पर ओपन एरिया आदि के साथ निर्मित भवन जोकि वर्तमान में मार्डन स्कूल सोसायटी के नाम से कक्षा 8 तक के लिए संचालित है की बिना अनुमति के निर्मित स्कूल भवन को स्वेच्छा से शमन स्वीकृति किये जाने हेतु कक्षा 8 तक (जू0 हाई स्कूल) के स्कूल भवन को स्वेच्छा से शमन के अन्तर्गत शमन स्वीकृत किये जाने हेतु शमन प्रार्थना पत्र के साथ शमन मानचित्र व भू-स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेखों की छायाप्रति आदि के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग वर्तमान में प्रचलित ऋषिकेश महायोजना 2011 के अन्तर्गत वर्तमान निर्मित क्षेत्र (बी-1) है तथा प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार जू0हाई स्कूल (कक्षा 8 तक) हेतु न्यूनतम आवश्यक भूखण्ड क्षेत्रफल 8000.00 वर्ग मी0 तथा प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार जू0हाई स्कूल हेतु न्यूनतम आवश्यक भूखण्ड क्षेत्रफल 8000.00 वर्गमी0 तथा मार्गाधिकार 12.00 मी0 होने का उल्लेख है। वर्तमान में प्रश्नगत स्थल के अग्रभाग में पंडुच मार्ग की चौड़ाई 18.00 फिट (5.48 मी0) तथा साईड में नाले के उपर बने मार्ग की चौड़ाई 13.00 फिट (3.90मी0) है। आवेदक द्वारा शमन मानचित्र में रोड वाइडनिंग 1.76 मी0 अपने भू-भाग में रखते हुए सडक के मध्य बिन्दु से 4.50 मी0 दर्शाते हुए प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत स्थल के समीप ही मार्डन स्कूल ऑ टेक्नोलोजी (एम0आई0टी0) के नाम से निर्मित/संचालित शिक्षण संस्थान विद्यमान है। इस प्रकार आवेदक द्वारा न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल 8000.00 वर्ग मी0 व पंडुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.00 मी0 के सापेक्ष भूखण्ड क्षेत्रफल 3460.00 वर्गमी0 अपने भू-भाग में रखते हुए सडक के मध्य बिन्दु से 4.5 मी0 दर्शाते हुए शमन स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड डोईवाला, जिला देहरादून द्वारा जारी पत्र दिनांक 19.08.2014 की छायाप्रति जिसमें नगरीय क्षेत्र में 1000.00 वर्गमी0 तथा आई0सी0एस0ई0 जिसमें हायर सैकेन्डरी स्टेजेज हेतु 2000.00 वर्गमी0 तथा सी0बी0एस0ई0 में सेकेन्डरी स्कूल हेतु 2000.00 वर्गमी0 होने का उल्लेख है, की छायाप्रतियां प्रस्तुत करते हुए शमन स्वीकृति किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस पर नगर एव ग्राम नियोजन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा राय दी गयी की जोनिंग रेगुलेशन में शैक्षिक बाहुल्य निर्मित क्षेत्र में अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्ट प्राविधान न होने तथा भवन निर्माण एव विकास उपविधि/विनियम 2011(संशोधन 2015) में निर्धारित क्षेत्रफल एव मार्ग चौड़ाई के प्राविधानों के सदर्थ में गुणदोष के आधार पर प्राधिकरण बोर्ड से समुचित निर्णय लिया जाना उचित होगा तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल के पत्रांक 68 दिनांक 06.04.2015 के अनुसार प्रश्नगत स्कूल को कक्षा 8 संचालन हेतु मान्यता प्राप्त होने सम्बन्धी पुष्टि कराते हुए उक्तानुसार निर्धारित क्षेत्रफल मानक पूर्ण होना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही Fire Tender के सुगम आवागमन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र कतिपय शर्तों के साथ दिया गया है।

उपरोक्त प्रकरण पर नियोजन विभाग द्वारा दिये गये अभिमत के कम में प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

23

**मद संख्या-63 (09)**

श्री हरगोविन्द जुयाल सचिव, मार्डन स्कूल सोसायटी के नाम से संचालित जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 8 तक) के निर्मित भवन को शमन स्वीकृति किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सी0बी0एस0ई0 नियमों के अनुरूप मानकों में शिथिलता प्रदान करते हुए प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।

**मद संख्या-63 (10)**

प्राधिकरण वाहन संख्या-यू0के0-08-एम-6363 एम्बेसडर कार को निष्पयोज्य घोषित करते हुए नीलाम किये जाने तथा उक्त के स्थान पर कार्यालय प्रयोगार्थ 01 वाहन क्रय किये जाने विषयक प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इनोवा या होण्डा सिटी वाहन क्रय किया जाये।

**मद संख्या-63 (11)**

हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण में नेटवर्किंग तथा नियोजन के कार्यों हेतु आउट सोर्सिंग /संविदा के आधार पर तैनाती विषयक प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।

**मद संख्या-63 (12)**

हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण में विचाराधीन अनाधिकृत निर्माण के वादों तथा अभिलेखागार /स्टोर एवं सूचना का अधिकार आदि को ऑनलाईन करने तथा कृत कार्यों के निष्पादन हेतु आउट सोर्सिंग /संविदा के आधार पर कम्प्यूटर प्रोग्रामर की तैनाती विषयक प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।

**मद संख्या-63 (13)**

हरिद्वार जिले /प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित नजूल भूमि की उचित रख-रखाव की व्यवस्था के दृष्टिगत प्राईवेट सर्वेयर से सर्वे कराये जाने विषयक प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।

Secretary

Vice Chairman

Commissioner / Chairman

मद संख्या-63(10)

प्राधिकरण वाहन संख्या यू0के0-08-एम0-6363 एम्बेसडर कार को निष्प्रयोज्य घोषित करते हुए नीलाम किये जाने तथा उक्त के स्थान पर कार्यालय प्रयागार्थ 01 वाहन कय किये जाने के सम्बन्ध में।

वर्तमान में प्राधिकरण के कार्य संचालन हेतु शासन से उपाध्यक्ष, सचिव, मुख्य वित्त अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता तथा 02 सहायक अभियन्ता तैनात किये गये हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष महोदय के प्रयोगार्थ (01 इनोवा कार) उपाध्यक्ष कैम्प कार्यालय हेतु प्रयोगार्थ (01 बोलेरो जीप), मुख्य वित्त अधिकारी के प्रयोगार्थ (01 एम्बेसडर कार), अधिशासी अभियन्ता के प्रयोगार्थ (01 बोलेरो जीप), सहायक अभियन्ता रूडकी के प्रयोगार्थ (01 बोलेरो जीप), सचिव के प्रयोगार्थ (01 एम्बेसडर कार) एवं मुख्यालय पर विभिन्न कार्यों हेतु (01 बोलेरो कैम्पर) कुल 06 वाहन कार्यालय में उपलब्ध हैं। उक्त के अतिरिक्त सचिव महोदय तथा सहायक अभियन्ता, शाखा रूडकी हेतु कुल 02 वाहनों की आपूर्ति एजेन्सी/ट्रेवल्स के माध्यम ली जा रही है। वर्तमान में मुख्य वित्त अधिकारी हेतु प्रयोगार्थ प्राधिकरण वाहन यू0के0-08-एम0-6363 एम्बेसडर कार निष्प्रयोज्य किये जाने योग्य है। वाहन का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	मॉडल वर्ष	चलित दूरी (कि0मी0 में)	प्रयोगार्थ
1.	यू0के0-08-एम0-6363	एम्बेसडर कार	2008	175000	मुख्य वित्त अधिकारी

सलग्न शासनादेश संख्या 3817, दिनांक 31.10.1986 के अनुसार मैदानी मार्ग पर चलने वाली उन हल्की तथा सामान्य गाड़ियों को, जो कम से कम 10 वर्ष चल चुकी हों या जिन्होंने 1.75 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली हो, निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने का प्राविधान है। उपरोक्त तालिक के अनुसार वाहन द्वारा 1.75 लाख कि0मी0 से अधिक दूरी तय की जा चुकी है। जोकि निष्प्रयोज्य किये जाने की अवस्था में है।

02. प्राधिकरण की 43वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.07.2007 के मद संख्या 16 में निर्णय लिया गया है कि प्राधिकरण वाहनों को अध्यक्ष/आयुक्त महोदय स्तर से निष्प्रयोज्य घोषित करने की कार्यवाही की जाय तथा जो भी वाहन अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित किये जाते हैं। उनके स्थान पर नये वाहन कय करने के लिए भी अनुमति प्रदान करने के लिए अध्यक्ष/आयुक्त महोदय को स्थायी रूप से अधिकृत कर दिया जाय।

03. यहाँ यह भी अवगत कराना है कि शासन द्वारा शासनादेश संख्या 65/ix-1/2013/215/2011 दिनांक 17 जनवरी 2013 के पैरा न0-3(2) का अंश में शासकीय विभागों में नया वाहन कय किये जाने पर प्रतिबन्ध किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में प्रस्ताव है कि प्राधिकरण वाहन संख्या यू0के0-08-एम0-6363 एम्बेसडर कार को निष्प्रयोज्य घोषित करते हुए नीलाम किये जाने तथा उक्त वाहन के स्थान पर सचिव, हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण हेतु प्रयोगार्थ 01 वाहन कय करने की स्वीकृति एवं उक्त मद में बजट का प्राविधान किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है।



मद संख्या- 63 (11)

**हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण में नेटवर्किंग तथा नियोजन के कार्यों हेतु आउट सोर्सिंग/संविदा के आधार पर तैनाती के सम्बन्ध में।**

शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्राधिकरण को वर्ष 2022 तक 10000 दुर्बल आय वर्ग के भवनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में प्राधिकरण की स्वीकृत हरिद्वार महायोजना-2025 के आधार पर परिक्षेत्रीय महायोजना तैयार किये जाने का कार्य, ऋषिकेश महायोजना प्रारूप तैयार करने तथा रूड़की महायोजना तैयार किये जाने हेतु सर्वे आदि का कार्य प्रगति पर है। उक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण में मानचित्रों की स्वीकृति आन लाईन किये जाने की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गयी है। उक्त कार्यों की आवश्यक देखभाल हेतु प्राधिकरण में नियोजन तथा आई.टी से सम्बन्धित कोई अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत नहीं है। शासन द्वारा अपने आदेश संख्या-477 दिनांक 21.03.2016 के द्वारा प्राधिकरण में रिक्त अवर अभियन्ता एवं नियोजन संवर्ग में सहायक नगर नियोजक के पदों पर लोक सेवा आयोग से नियमित नियुक्ति होने तक आउट सोर्सिंग से भरे जाने के भी निर्देश है। प्राधिकरण में सहायक नगर नियोजक का एक पद स्वीकृत है जो रिक्त है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का पद स्वीकृत नहीं है। अतः उक्त कार्यों की देखरेख हेतु 01 सहायक नगर नियोजक एवं 01 सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर प्रत्येक को रूपये- 50,000.00 मासिक पारिश्रमिक पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

मद संख्या- 63 (12)

हरिद्वार- रूड़की विकास प्राधिकरण में विचाराधीन अनाधिकृत निर्माण के वादों तथा अभिलेखागार/स्टोर एवं सूचना का अधिकार आदि को आन लाईन करने तथा कृत कार्यों के निष्पादन हेतु आउट सोर्सिंग/संविदा के आधार कम्प्यूटर प्रोग्रामर की तैनाती के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति आन लाईन किये जाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके कम में आन लाईन मानचित्रों की स्वीकृति दिनांक 01.07.2017 से प्रारम्भ कर दी गयी है तथा लगभग सभी अनुभागों को नेट सुविधा उपलब्ध कराया जा रही है। किन्तु प्राधिकरण के अन्य अनुभाग आनलाईन सुविधा से वंचित हैं। प्राधिकरण का गठन वर्ष 1986 में किया गया था, जिसे लगभग 31 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। कार्य के सुलभ संचालन एवं सूचना अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को त्वरित गति से निस्तारित किये जाने हेतु अभिलेखों को ऑन लाईन/कम्प्यूटरीकृत किया जाना आवश्यक है। अभिलेखों को ऑन लाईन/कम्प्यूटरीकृत किये जाने तथा सूचना अधिकार के अन्तर्गत आवेदन पत्रों को ऑन लाईन प्राप्त किये जाने की व्यवस्था से जन सामान्य को अभिलेख आसानी से सुलभ हो सकेगा साथ ही साथ प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण भी सरलता से किया जा सकता है। तथा अभिलेखों का रखरखाव भी दो स्वरूप (हार्ड/साफ्ट रूप में) में किया जा सकेगा।

उक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण के स्टोर / कार्यालय रखरखाव / वाहनों की मरम्मत आदि कार्य को भी कम्प्यूटरकृत किया जाना आवश्यक जिससे एक क्लिक पर यह ज्ञात हो सके कि कौन सी सामग्री कब कय की गयी थी तथा वर्तमान तक स्टोर में कितनी मात्रा में उपलब्ध है, इसी प्रकार वाहनों के रखरखाव में भी यह देखा जा सकता है कि वाहन/विद्युत आदि मरम्मत कार्य कब कराया गया था तथा मरम्मत के दौरान कौन-2 से पार्ट्स नये लगाये गये थे।

प्राधिकरण में विचाराधीन वादों में सुनवाई का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। कार्यवाही / तिथि की सूचना लिखित रूप से अनाधिकृत निर्माणकर्ता को प्रेषित की जा रही है जिसमें अनावश्यक रूप से अधिक समय, अत्यधिक स्टेशनरी एवं मानव श्रम आदि खर्च होता है। इस व्यवस्था को सरल बनाये जाने के उद्देश्य से आवश्यक है कि सभी वादों को आन लाईन कर दिया जाय, तथा इसमें अनाधिकृत निर्माणकर्ता का मोबाईल नं0 एवं ईमेल पता प्राप्त कर अंकित किया जाय जिससे की आगामी सुनवाई / कार्यवाही की सूचना अनाधिकृत निर्माणकर्ता को एसएमएस / ई-मेल के द्वारा स्वतः ही प्रसारित हो जाय।

अतः उपरोक्तानुसार अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किये जाने तक एक कम्प्यूटर प्रोग्रामर को आउट सोर्सिंग / संविदा पर रूपये- 20,000.00 मासिक पारिश्रमिक पर तैनात किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

## मद संख्या- 63 (13)

## हरिद्वार जिले /प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित नजूल भूमि की उचित रखरखाव की व्यवस्था के दृष्टिगत प्राईवेट सर्वेयर से सर्वे कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि शासन द्वारा वर्तमान में हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण को हरिद्वार जिले की नजूल भूमि के प्रबन्धन का दायित्व दिया गया है। प्रारम्भिक सूचना के आधार पर नजूल भूमि, नगर निगम हरिद्वार क्षेत्र, नगर निगम रूड़की क्षेत्र तथा नगर पालिका मंगलौर क्षेत्र में स्थित है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार भूमि क्षेत्रफल का विवरण निम्नवत है:-

नगर निगम हरिद्वार			नगर निगम रूड़की			नगर पालिका मंगलौर		
क्र. सं.	विवरण	क्षेत्रफल एवं अन्य विवरण	क्र. सं.	विवरण	क्षेत्रफल एवं अन्य विवरण	क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल एवं अन्य विवरण
1	कुल नजूल भूमि	1989202.36 M2	1	कुल प्लॉट	1466	1	कुल नजूल भूमि	120402.00 M2
2	फ्रीहोल्ड की गई भूमि	36470.58 M2	2	38 खाली प्लॉट का क्षेत्रफल	55181.99	2	कुल पट्टे	122
3	अवैध कब्जों की नजूल भूमि	13172.40 M2	3	अवैध कब्जों की संख्या	1428	3	फ्रीहोल्ड भूमि क्षेत्रफल	8413.00 M2
4	पट्टागत नजूल भूमि	73365.49 M2	4	व्यवसायिक क्षेत्रफल	127696.46 M2	4	ऐसे पट्टे जिनकी अवधि समाप्त हो गयी है।	06
5	अतिरिक्त नजूल भूमि	1854510.13 M2	5	आवासीय हेतु	537851.33 M2	5	अनाधिकृत कब्जेदार	808ए 38 पर सरकारी इमारत / कार्यालय / मंदिर / मस्जिद

प्राधिकरण द्वारा नजूल भूमि प्रबन्धन पर अभी तक प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी है, और न ही नजूल से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु आवश्यक है कि प्राधिकरण अधिकारियों की देखरेख में प्राईवेट सर्वेयर से तीनों निकायों में स्थित नजूल भूमि का सर्वे करा लिया जाय जिससे यह ज्ञात हो सके कि नजूल भूमि की वास्तविक स्थिति क्या है। अतः नगर निगम हरिद्वार / रूड़की एवं नगर पालिका परिषद मंगलौर में स्थित नजूल भूमि को प्राईवेट सर्वेयर से सर्वे कराये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या- 63 (14)

हरिद्वार में स्थित हर की पैड़ी क्षेत्र का पारम्परिक स्वरूप बरकरार रखते हुये उसके विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।

हरिद्वार एक प्राचीन तीर्थ नगर है जिसका मुख्य आकर्षण हर की पैड़ी है। देश विदेश से हरिद्वार आने वाला यात्री हर की पैड़ी पर निश्चित रूप से जाता है। वर्तमान में परिवेश में हर पैड़ी का विकास जिस प्रकार होना चाहिए वह नहीं हो पाया है। आगामी कुम्भ मेला-2021 को दृष्टिगत रखते हुये हर की पैड़ी क्षेत्र के परम्परागत स्वरूप को बरकरार रखते हुये उसका विकास एवं सौन्दर्यीकरण इस प्रकार कराया जाय जिससे की आने वाली तीर्थ यात्रियों को परम्परागत रूप से और आकृषित कर सके।


अतः प्रस्ताव है कि हर की पैड़ी क्षेत्र का परम्परागत स्वरूप बरकरार रखते हुये उसके विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य भारत सरकार की किसी संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।


**मद संख्या-63 (14)** हरिद्वार में स्थित हर की पैड़ी क्षेत्र का पारम्परिक स्वरूप बरकरार रखते हुये उसके विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार की किसी दक्ष संस्था से यह कार्य कराया जाये। तदोपरान्त ऋषिकेश में त्रिवेणीघाट के सौन्दर्यीकरण को सम्मिलित करने तथा ऋषिकेश में कम से कम 05 हाईमास्ट नवीनतम एल.ई.डी लाईटों को 05 मुख्य चौराहों पर लगाने के निर्देश बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को दिये गये तथा प्रस्ताव सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।

**मद संख्या-63 (15)** हरिद्वार विकास क्षेत्र में प्राधिकरण की योजनाओं हेतु राज्य की लैण्ड पुलिंग व्यवस्था के अनुसार भूमि अधिग्रहण / क्रय किये जाने विषयक प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण को अपना लैण्ड बैंक बनाने की आवश्यकता है तथा यह आवश्यक है कि हरिद्वार जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में लैण्ड बैंक बनाने / भूमि क्रय किया जाये तथा आवासीय योजनाओं का विकास किया जाये।

**मद संख्या-63 (16)** हरिद्वार विकास क्षेत्र के अम्यूजमेंट पार्क विकसित किये जाने विषयक प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा इसकी विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये गये तथा अम्यूजमेंट पार्क के अतिरिक्त अन्य कोई योजना जो जनहित तथा प्राधिकरण हित में हो क्रियान्वित की जायें। बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को निर्देश दिये गये कि ऋषिकेश नगरपालिका से समन्वय करते हुए ऋषिकेश में भी अम्यूजमेंट पार्क विकसित किया जाय।

  
Secretary

  
Vice Chairman

  
Commissioner / Chairman

मद संख्या- 63 (15)

हरिद्वार विकास क्षेत्र में प्राधिकरण की योजनाओं हेतु राज्य की लैण्ड पुलिंग व्यवस्था के अनुसार भूमि अधिग्रहण / कय किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण को वर्ष 2022 तक 10000 भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, किन्तु प्राधिकरण के पास इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 के रूप में 10.50 एकड़ भूमि उपलब्ध है। आवासीय समस्या एवं प्राधिकरण को वित्तीय दृष्टिकोण से प्राधिकरण क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भवन निर्माण कर उक्त लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा करने से निर्मित भवनों का विक्रय भी आसान होगा तथा क्षेत्रवार निवासियों को आवास भी सुलभ होगा। ऐसी स्थिति में प्राधिकरण क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर राज्य में प्रभावी लैण्ड पुलिंग नीति / व्यवस्था के अनुसार भूमि कय किया जाना उचित होगा।

अतः लैण्ड पुलिंग प्राविधानों के अनुसार प्राधिकरण क्षेत्र में भूमि कय किये जाने के सम्बन्ध में विज्ञापन प्रकाशित कराते हुये आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु आख्या आदेशार्थ प्रस्तुत है।

**मद संख्या- 63 (16)**

**हरिद्वार विकास क्षेत्र के अम्यूजमेन्ट पार्क विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।**

हरिद्वार एक प्राचीन तीर्थ / पर्यटक नगर है। देश विदेश से यात्री / पर्यटक वर्ष भर हरिद्वार भ्रमण पर आते रहते हैं। हरिद्वार में एक भी स्थान पर ऐसा कोई एक भी पार्क नहीं है जिसको देखने पर्यटक / स्थानीय नागरिक जा सकें। हरिद्वार में कम से कम एक अम्यूजमेन्ट पार्क निर्मित कराया जाना आवश्यक है। वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा 23 मार्च शहीद पार्क के नाम से बड़ी शिवजी मूर्ति के सामने पार्क का निर्माण एवं विकास कार्य करा रहा है। इस पार्क को भी अम्यूजमेन्ट पार्क के रूप में विकसित किये जाने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा सकता है।

उक्त के अतिरिक्त संज्ञान में आया है कि नगर निगम हरिद्वार के पास ग्राम जगजीतपुर में डी.ए.वी. कालेज के सामने काफी मात्रा में रिक्त भूमि उपलब्ध है। वर्तमान में उक्त भूमि का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस भूमि का प्रयोग प्राधिकरण की आवासीय / व्यवसायिक योजना तैयार किये जाने हेतु नगर निगम की सहमति से किया जा सकता है। अतः उचित होगा कि नगर निगम हरिद्वार से उक्त भूमि पर योजना तैयार किये जाने की सहमति प्राप्त कर उस पर प्राधिकरण द्वारा आवासीय / व्यवसायिक योजना तैयार की जाय। प्राधिकरण एवं नगर निगम के दायित्वों एवं प्राप्ति के सम्बन्ध में नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर विवरण तैयार करते हुये नगर निगम से भूमि हस्तांतरण एवं दोनों विभागों के हितों हेतु द्विपक्षीय एमओयू निष्पादित करते हुये योजना को क्रियान्वित किया जा सकता है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

**मद संख्या- 63 (17)**

**हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण के मायापुर, हरिद्वार स्थित कार्यालय को रोशनाबाद, हरिद्वार में हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।**

हरिद्वार जिले का मुख्यालय रोशनाबाद में स्थित है। मुख्यालय में जिले के अधिकांश विभाग के कार्यालय स्थित है। राज्य सरकार काफी भूमि जिला मुख्यालय में रिक्त पड़ी हुयी है। अतः उचित होगा कि हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय मायापुर से स्थानान्तरित कर रोशनाबाद में स्थापित किये जाने हेतु राज्य सरकार से उचित मात्रा में भूमि का आवंटन कराया जाय। मायापुर स्थित कार्यालय जिसका स्वामित्व प्राधिकरण का है, पर आवासीय / कार्यालय / व्यवसायिक काम्प्लैक्स के रूप में विकसित करते हुये इसका विक्रय कर दिया जाय।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

**मद संख्या-63 (17)**

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण के मायापुर, हरिद्वार स्थित कार्यालय को रोशनाबाद हरिद्वार में हस्तान्तरित किये जाने विषयक प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया ।

**मद संख्या-63 (18)**

हरिद्वार नगर निगम सीमान्तर्गत नगर निगम द्वारा लगायी गयी स्ट्रीट लाइटों का आटोमेशन किये जाने का कार्य तथा इस पर आने वाले लागत की प्रतिपूर्ति हेतु विजुअल मैसेजिंग साईनबोर्ड (VMS) के माध्यम से कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में नगर निगम से भी विस्तृत विचार-विमर्श कर लिया जाये तथा अग्रिम कार्यवाही की जाय। बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को निर्देश दिये गये कि कार्यालय में भी आटोमेशन का प्रयोग किया जाय ।

**मद संख्या-63 (19)**

इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से उत्तर प्रदेश जल निगम (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम) को कार्यदायी संस्था सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्देश दिये गये कि उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम को दी गयी धनराशि का समायोजन उनके द्वारा किये गये कार्यों में करते हुए अवशेष धनराशि वापस ले ली जाये तथा उ0प्र0जल निगम द्वारा तत्काल डी.पी.आर.प्राप्त कर शासन को प्रेषित की जाये ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली धनराशि भारत सरकार से प्राप्त की जा सके।

अन्त में उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा आयुक्त/अध्यक्ष, एच0आर0डी0 एव व अन्य पदेन सदस्यों को बोर्ड बैठक में प्रतिभाग करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।

81  
Secretary

Vice Chairman

Commissioner / Chairman

मद संख्या- 63(18)

हरिद्वार नगर निगम सीमान्तर्गत नगर निगम द्वारा लगायी गयी स्ट्रीट लाईटो का आटोमेशन किये जाने का कार्य तथा इसपर आने वाले लागत की प्रतिपूर्ति हेतु विजुअल मैसेजिंग साईनबोर्ड (VMS) के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।

(1) हरिद्वार नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत द्वारा स्ट्रीट लाईटो को स्थापित किया जाना तथा उसके रखरखाव का कार्य नगर निगम द्वारा सम्पादित किया जाता है। प्राधिकरण का प्रस्ताव है कि समस्त नगर क्षेत्र के स्ट्रीट लाईट को एल.ई.डी. लाईटो के रूप में परिवर्तित करते हुये उसका आटोमाईजेशन करा दिया जाय। आटोमेशन के मुख्य आकर्षण यह है कि इससे उर्जा की खपत कम होगी, रखरखाव पर व्यय में कमी आयेगी, कम लागत में लाईटो को बिना तार के नियन्त्रित करना, स्थापित लैम्प की लाईफ अधिक होना, सूर्य उदय / सूर्य अस्त के आधार पर लाईटो को स्वयं जलने एवं बुझने की सुविधा, उर्जा खपत की वास्तविक जानकारी करना, वेब वेस्ट साफ्टवेयर के साथ जीपीएस मैपिंग आदि की सुविधा उपलब्ध होगी। उक्त के अतिरिक्त आटोमेटिक रूप से एक क्षेत्र में रोशनी की आवश्यकतानुसार फेजेज के रूप में लाईटो स्वयं जलती चली जायेगी। उक्त व्यवस्था के अनन्तर्गत वेब के आधार पर और नये प्रयोग भी किये जा सकते हैं। शून्य लागत के आधार पर वेब सुविधा का प्रयोग कर एक कैम्पस / छोटे से स्थान इनके रखरखाव का कार्य सम्पादित किया जा सकते हैं।

(2) उक्त बिन्दु संख्या-01 पर जो भी लागत आयेगा उसका वहन प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। प्राधिकरण द्वारा किये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्राधिकरण द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुये विजुअल मैसेजिंग साईनबोर्ड (VMS) / एल.ई.डी. के माध्यम विज्ञापन प्रसार करने का अधिकार नगर निगम हरिद्वार को विकास प्राधिकरण को देना होगा। इस के विजुअल मैसेजिंग सर्विस (VMS)/एल.ई.डी. में विज्ञापन के अतिरिक्त सार्वजनिक हित में सूचनाओं का प्रसारण निःशुल्क किया जायेगा।

प्रशगगत विजुअल मैसेजिंग साईनबोर्ड (VMS) / एल.ई.डी. आदि के कार्य हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा 18 (1)XXXIV / 2016-77 / 2015 दिनांक 15.01.2016 उपलब्ध है, जिसके अन्तर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिक क्षेत्र के चार कम्पनियों को अधिकृत किया गया है, जिसमें से दो कम्पनीयों भारत सरकार की हैं। उचित होगा उक्त सरकार भारत सरकार के किसी भी कम्पनी के माध्यम से उक्त दोनों कार्य कराया जाय।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।



## मद संख्या-63(19)

## इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु तत्कालीन अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दिनांक 13.10.2010 के अनुसार कन्सट्रक्शन एवं डिजाईन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम) लि0 का चयन किया गया था। चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा योजना के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु डी0पी0आर0 पर काफी कार्य किया जा चुका था, किन्तु उसके उपरान्त चयनित संस्था द्वारा योजना में अपेक्षित अभिरूची न दिखाने के कारण इनका चयन निरस्त कर दिया गया था तथा तत्कालीन मा0 अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दिनांक 16.12.2016 के द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण नि0लि0 को कार्यदायी संस्था के रूप में चयन किया गया तथा डी0आर0आर0 आदि तैयार किये जाने हेतु रूपये - 1.00 करोड़ का भुगतान उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को किया गया। तदोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य में कार्यदायी संस्था के रूप में अधिसूचित उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण नि0 लि0 को राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण लि0 के साथ उक्त योजना हेतु एम.ओ.यू. का निष्पादन नहीं किया गया है।

अवगत कराना है कि प्राधिकरण को वर्ष 2022 तक प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 10000 भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। उक्त योजना हेतु प्राधिकरण के पास वर्तमान में इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रथम चरण में इसी योजना के अन्तर्गत प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भवनों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। प्रधान मंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार से निरन्तर आदेश प्राप्त हो रहे हैं तथा विगत दिनों मा0 मुख्यमंत्री जी एवं सचिव आवास द्वारा वीडियो कान्फेसिंग के दौरान भी उक्त प्रधान मंत्री आवास योजना के शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश दिये गये हैं। चूंकि कन्सट्रक्शन एवं डिजाईन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम) लि0 द्वारा उक्त योजना की डी.पी.आर. पर काफी कार्य किया जा चुका है।

अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु कन्सट्रक्शन एवं डिजाईन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम) लि0 को कार्यदायी के रूप में चयन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

## मद संख्या-63 (20)

## अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

हरिद्वार में हर की पेड़ी क्षेत्र श्रवणनाथ नगर, भीमगोडा, गोविन्दपुरी, नया हरिद्वार आदि आवासीय क्षेत्रों में छोटे-छोटे भूखण्डों एवं निर्मित आवासों को गेस्ट हाउस, लॉज एवं होटलों में परिवर्तित किया गया है। भवन उपविधि के मानकों के अनुसार भूखण्ड क्षेत्रफल /पार्किंग एवं अन्य वॉछनीय पूर्ण न होने कारण इस प्रकार के निर्माणों को नियमित नहीं किया जा सकता है। प्रकरण विशेष के सम्बन्ध में प्रस्ताव विगत बोर्ड बैठकों में भी प्रस्तुत किये गये हैं। किन्तु तत्समय अधिकतर क्षेत्र गंगा नदी तट से 200 मीटर की सीमा में होने के कारण इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका था। शासन द्वारा वर्तमान में सर्वानन्द घाट से सतीघाट कनखल तक के गंगा नदी क्षेत्र को स्कोप चैनल के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिस कारण इस क्षेत्र अथवा इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों में निर्मित होटलों /गेस्ट हाउस /लॉज को एक मानक तय करते हुये इनके नियमितीकरण की कार्यवाही की जा सकती है। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में कराये गये सर्वे के अनुसार इस प्रकार के निर्माणों की संख्या लगभग 350 है।

हरिद्वार एक पर्यटक /तीर्थ नगरी के रूप में विकसित है जहाँ कुम्भ /अर्द्धकुम्भ /काँवड मेलों के अतिरिक्त अन्य मेलों का आयोजन प्रायः वर्ष भर चलता रहता है। अतः हरिद्वार आने वाले तीर्थ यात्रियों /पर्यटकों के सुविधा के दृष्टिगत इस प्रकार के निर्माणों को भवन उपविधि के अन्तर्गत निर्धारित मानकों में शिथिलता प्रदान करते हुये इन्हें नियमित किये जाने हेतु प्राधिकरण स्तर पर सचिव अथवा उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में जिसमें अनिवार्य रूप से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड तथा पर्यटन विभाग के एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में हो के साथ एक कमेटी गठित कर दी जाय। गठित कमेटी एवं निश्चित अवधि में सभी आवश्यक बिन्दुओं पर विचार करते हुये अपनी आख्या प्राधिकरण बोर्ड की आगामी बैठक के समक्ष प्रस्तुत करें। अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई चर्चा में प्रमुख सचिव पर्यटन के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में पर्यटन नीति के अनुसार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद की अधिसूचना संख्या-4041 /2-7-12922016 दिनांक 25 फरवरी 2016 अतिथि-उत्तराखण्ड गृह

Secretary

Vice-Chairman

Commissioner / Chairman

## मद संख्या- 63 (20) (1)

### अध्यक्ष की अनमति से अन्य विषय


हरिद्वार में हर की पैड़ी क्षेत्र श्रवणनाथ नगर, भीमगोड़ा, गोविन्दपुरी, नया हरिद्वार आदि आवासीय क्षेत्रों में छोटे-2 भूखण्डों एवं निर्मित आवासों को गेस्ट हाउस, लॉज एवं होटलों में परिवर्तित किया गया है। भवन उपविधि के मानकों के अनुसार भूखण्ड क्षेत्रफल / पार्किंग एवं अन्य वांछनायें पूर्ण न होने के कारण इस प्रकार के निर्माणों को नियमित नहीं किया जा सका है। प्रकरण विशेष के सम्बन्ध में प्रस्ताव विगत बोर्ड बैठकों में भी प्रस्तुत किये गये हैं। किन्तु तत्समय अधिकतर क्षेत्र गंगा नदी तट से 200 मीटर की सीमा में होने के कारण इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका था। शासन द्वारा वर्तमान में सर्वानन्द घाट से सतीघाट कनखल तक के गंगा नदी क्षेत्र को स्केप चैनल के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिस कारण इस क्षेत्र अथवा इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों में निर्मित होटलो / गेस्ट हाउस / लॉज को एक मानक तय करते हुये इनके नियमितकरण की कार्यवाही की जा सकती है। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में कराये गये सर्वे के अनुसार इस प्रकार के निर्माणों की संख्या लगभग 350 है।

हरिद्वार एक पर्यटक / तीर्थ नगरी के रूप में विकसित है जहाँ कुम्भ / अर्द्धकुम्भ / कॉवड मेलों के अतिरिक्त अन्य मेलों का आयोजन प्रायः वर्ष भर चलता रहता है। अतः हरिद्वार आने वाले तीर्थ यात्रियों / पर्यटकों के सुविधा के दृष्टिगत इस प्रकार के निर्माणों को भवन उपविधि के अन्तर्गत निर्धारित मानकों में शिथिलता प्रदान करते हुये इन्हें नियमित किये जाने हेतु प्राधिकरण स्तर पर सचिव अथवा उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में जिसमें अनिवार्य रूप से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड तथा पर्यटन विभाग के एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में हो के साथ एक कमेटी गठित कर दी जाय। गठित कमेटी एक निश्चित अवधि में सभी आवश्यक बिन्दुओं पर विचार करते हुये अपनी आख्या प्राधिकरण बोर्ड की आगामी बैठक के समक्ष प्रस्तुत करें।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

आवास (होम स्टे) नियमावली 2015 प्रथम संशोधन नियमावली 2016 प्रचलित है, जिसके अनुसार पर्यटन विभाग द्वारा कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को निर्देश दिये गये हैं कि सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में जिला पर्यटन अधिकारी, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रतिनिधि समस्त बिन्दुओं पर परीक्षण करते हुए तदनुसार बाइलॉज में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित करेंगे।

  
Secretary

  
Vice Chairman

Commissioner / Chairman

**कार्यालय हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार**

पत्रांक 126 / प्रशा0 2(क)-22/159/2015-16 दिनांक 14 जून 2017  
विषय: श्री विकास कुमार, कनिष्ठ सहायक, विनियमित क्षेत्र रूडकी के सम्बन्ध में।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,  
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड  
53, टी0एच0डी0सी0 कालोनी, विस्थापित क्षेत्र  
देहरादून, देहरादून 248001

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पूर्व में प्रेषित इस कार्यालय पत्र संख्या 1206/प्रशा0 2(क)-22/159/2015-16, दिनांक 29 सितम्बर 2016 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्राधिकरण की 60वीं बोर्ड बैठक दिनांक 01.09.2016 के मद संख्या 60(07) में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि "हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण के गठन के उपरान्त विनियमित क्षेत्र रूडकी के रिकार्ड/अभिलेखों के हस्तान्तरण विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से अप्राप्त अभिलेखों के सम्बन्ध में श्री विकास कुमार, कनिष्ठ सहायक के विरुद्ध मूल विभाग से विभागीय जांच कराने एवं एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के निर्णय बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से लिया गया" तदनुसार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपरोक्त पत्र आपको प्रेषित किया गया है। वर्तमान तक उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा की गयी कार्यवाही इस कार्यालय को अप्राप्त है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण की आगामी 63वीं बोर्ड बैठक माह जून 2017 के अन्तिम सप्ताह में आहूत की जानी सम्भावित है। जिसमें बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय का अनुपालन प्रस्तुत किया जाना है।

अतः श्री विकास कुमार, कनिष्ठ सहायक के विरुद्ध की गयी विभागीय जांच/एफ0आई0आर0 सम्बन्धी कार्यवाही से इस कार्यालय को अतिशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें। ताकि बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

सचिव

हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार

प्रतिलिपि:

1. सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

**कार्यालय, हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार**

संख्या-126 / प्रशा0-2(क)-22/159/2015-16 दिनांक 14 जून 2016  
विषय: श्री विकास कुमार, कनिष्ठ सहायक, विनियमित क्षेत्र, रूडकी के सम्बन्ध में।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,  
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड,  
53, टी0एच0डी0सी0 कालोनी, विस्थापित क्षेत्र,  
देहरादून-248001

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग-2 के आदेश संख्या 31/वी/आ0-2014-90(आ0)/2011 दिनांक 09.01.2015 के अनुपालन कार्यालय नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, रूडकी में तैनात श्री नन्दन सिंह रावत (अवर अभियंता) एवं श्री विकास कुमार (कनिष्ठ लिपिक) को अग्रिम आदेश तक हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण के रूडकी क्षेत्र विकास आफिस में सम्बद्ध किये जाने हेतु दिनांक 24.02.2015 के अपरान्त में नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, रूडकी हरिद्वार के पत्रांक 193 दिनांक 24.02.2015 को कार्यमुक्त किया गया था, जिसकी प्रति आपको भी सम्बोधित है। शासनादेश संख्या 853/वी/आ0-2014-90 (आ0)/2011 दिनांक 12 जून 2015 के द्वारा श्री विकास कुमार, कनिष्ठ सहायक को विनियमित क्षेत्र रूडकी में स्थानान्तरित किया गया है।

तदोपरान्त कार्यालय नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र रूडकी के पत्रांक 163 / वि0के0रू0/हस्तांतरण/2014-15 दिनांक 09.09.2014 द्वारा श्री नन्दन सिंह रावत, अवर अभियंता एवं श्री विकास कुमार लिपिक, रूडकी को विनियमित क्षेत्र रूडकी से संबन्धित चल एवं अचल सम्पत्ति हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार को हस्तांतरण किये जाने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त की प्रति आपको भी पृष्ठांकित है। श्री विकास कुमार द्वारा कार्यालय विनियमित क्षेत्र से संबन्धित रिकार्ड उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् अनुपलब्ध पत्रावलियों की संख्या सहित शासन एवं आपको इस कार्यालय के पत्रांक 811/प्रशा0-2(क)-22/159/2016-17 दिनांक 05 अगस्त 2016 द्वारा सूचित किया जा चुका है। उक्त सूची के अनुसार अनुपलब्ध रिकार्ड के सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कि प्राधिकरण की 60 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 01.09.16 के मद संख्या 60(7) पर निर्णय लिया गया है कि "हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण के गठन के उपरान्त विनियमित क्षेत्र रूडकी के रिकार्ड/अभिलेखों के हस्तांतरण विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से अप्राप्त अभिलेखों के सम्बन्ध में श्री विकास कुमार, कनिष्ठ सहायक के विरुद्ध मूल विभाग से विभागीय जांच कराने एवं एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के निर्णय बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से लिया गया"। अतः तदनुसार हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण के बोर्ड की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया बोर्ड के निर्णय के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 तन्वीम अली)  
सचिव

प्रतिलिपि-

1. मा0 अय्यश, ह0रू0वि0प्र0, हरिद्वार।
2. सचिव, आवास अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपाध्यक्ष, ह0रू0वि0प्र0, हरिद्वार।

सचिव

प्रेषक .

सचिव,  
हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

सेवा में .

मुख्य प्रशासक,  
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

संख्या: 1404

प्रशा01(ग)-32 / 2014-15

दिनांक 26 जुलाई 2017

विषय:

श्री विकास कुमार, कनिष्ठ सहायक, विनियमित क्षेत्र, रुड़की / काशीपुर  
के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-959 / V /  
आ0-2014-90 (आ) / 2011 दिनांक 27.08.2014 के द्वारा विनियमित क्षेत्र रुड़की  
को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप श्री  
विकास कुमार कनिष्ठ सहायक, विनियमित क्षेत्र रुड़की को अग्रिम आदेशों तक  
हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के शाखा कार्यालय रुड़की से सम्बद्ध किया गया  
था। विनियमित क्षेत्र रुड़की के समस्त अमिलेखों का हस्तांतरण श्री विकास कुमार  
द्वारा हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को किया जाना था। श्री विकास कुमार द्वारा  
प्राधिकरण द्वारा अमिलेख हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण समस्त अमिलेखों का  
हस्तांतरण प्राधिकरण को नहीं किया गया। इसी मध्य श्री विकास कुमार का  
स्थानान्तरण शासन के आदेश संख्या-853 दिनांक 12.06.2015 के द्वारा विनियमित  
क्षेत्र काशीपुर के लिये किया गया। विनियमित क्षेत्र का सम्पूर्ण अमिलेख प्राप्त न होने  
का प्रकरण प्राधिकरण की 60 (7) वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा  
निर्णय लिया गया कि "हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के गठन के उपरान्त  
विनियमित क्षेत्र रुड़की के टिकार्ड / अमिलेखों के हस्तांतरण विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड  
द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। सर्व सम्मति से अप्राप्त अमिलेखों के सम्बन्ध में श्री  
विकास कुमार, कनिष्ठ सहायक के विरुद्ध मूल विभाग से विभागीय जांच कराने एवं  
एफ.आई.आर. दर्ज कराने का निर्णय बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से लिया गया।"  
तदनुसार बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु श्री विकास कुमार, कनिष्ठ  
सहायक के मूल विभाग नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को उत्तराखण्ड, देहरादून को  
कार्यालय पत्र संख्या- 1206 दिनांक 29.09.2016 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा  
सूचित किया गया। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि तत्समय तक श्री विकास  
कुमार का वेतन आदि का अहरण नियोजन विभाग के लेखा शीर्षक से एवं उनके  
व्यक्तिगत अमिलेखों का रखरखाव नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा  
ही किया जाता था। कालान्तर में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा  
उनके व्यक्तिगत अमिलेखों को कार्यालय पत्र संख्या- 1524 दिनांक 22.08.2016  
(छाया प्रति संलग्न) के द्वारा वापस करते हुये अवगत कराया गया कि श्री विकास  
कुमार, नियोजन विभाग के कर्मचारी नहीं है।

शासन के आदेश संख्या-853 दिनांक 12.06.2015 के क्रम में श्री  
विकास कुमार, कनिष्ठ सहायक को कार्यालय पत्र संख्या-2248 दिनांक 18.02.  
2017 के द्वारा विनियमित क्षेत्र काशीपुर के लिये कार्यमुक्त कर दिया गया। उक्त के

अनुपालन में श्री विकास कुमार द्वारा दिनांक 23.02.2017 में विनियमित क्षेत्र  
काशीपुर में कनिष्ठ सहायक का पदभार भी ग्रहण कर लिया गया है। भुक्ति श्री  
विकास कुमार, कनिष्ठ सहायक सेवा प्रारम्भ से वर्तमान तक नियोजन विभाग के  
नियन्त्रण में ही कार्य कर रहे हैं जिस कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही आदि करने का  
दायित्व भी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड का ही है।

अतः विनियमित क्षेत्र रुड़की से अप्राप्त अमिलेखों के सम्बन्ध में हरिद्वार  
रुड़की विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक निर्देश प्रदान  
कराना चाहें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

मवदीय,

(बंशीधर तिवार)  
सचिव

प्रतिक्रिया:-

- उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड,  
देहरादून को उपरोक्त के सम्बन्ध में उनके द्वारा विभिन्न तिथियों में प्रेषित पत्रों  
क्रम में सूचनाार्थ।

सचिव